9. प्रोजाईडिंग स्टोन : 1833 कि.ग्रा. 2023.175 कि.ग्रा.

10. स्टोन की ड्रसीज एवं प्रेमस: 11.632 क्विंटल 22.524 क्विंटल

11. रिटेनिंग वाल के पीछे पत्थर की भरपाई : 24.63 वर्ग मी. 61.241 वर्ग मी.

ख) इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए मैo कुन्दन लाल व हरि राम के पक्ष में 205.94 प्रतिशत अधिक प्रिमियम पर निविदा राशि ~~205.94/प्रतिशत~~ 290447/- रु. के लिए स्वीकृत किया गया । इस प्रिमियम स्वीकृत डी.एन.आई.टी. राशि 94935 रुपए स्वीकृत किया गया परन्तु यह प्रिमियम उचित नहीं लगता है तथा अधिक प्रतीत होता है क्योंकि इस अवधि के दौरान स्वीकृत की गई अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्रिमियम 150% के लगभग स्वीकृत किए गए थे । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस अधिक दिए गए प्रिमियम की पुष्टि हेतु नियमानुसार तुलनात्मक विवरण व दरों का औचित्य विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किए गए । अधिक दिए गए प्रिमियम के एवज में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुमोदना से अवगत करवाया जाए अन्यथा अधिक प्रिमियम की वसूली की जाए ।

ग) माप पुस्तिका 126 पृ0 18 व 19 की प्रविष्टि संविदाकार के लेजर व निर्माण कार्य सामग्री उपयोग विवरण के मिलान करने पर पाया गया कि सीमेंट व स्टील के उपयोग व ईशु में अन्तर है जिसमें उपयोग अधिक है परन्तु भण्डार से ईशु कम है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है । स्टोर से सामग्री जब कम जारी की गई तो फिर अधिक मात्रा कहाँ से उपयोग की गई । इससे स्पष्ट है कि वास्तविक कार्य की मात्रा कम थी परन्तु गलत माप करके अधिक मात्रा दर्शाकर उपयोग अधिक दिखाया गया है । इण्डेंट सं0 के/बी.सी.आर/टी द्वारा 1.43 मि.टन स्टील व इण्डेंट सं0 के.बी.सी.आर/96-490 दिनांक 17.4.96 द्वारा 400 बोरी सीमेंट इस निर्माण के लिए जारी किया गया दिखाया है परन्तु इन इण्डेंटों से भण्डार जारी किया गया है और न ही यह इण्डेंट अभिलेख में पाए गए अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से है:-

सामग्री का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार कुल जारी की गई सामग्री ।	संविदाकार रजिस्टर व इण्डेंट के अनुसार ।	उपयोग विवरण के अनुसार	कितनी बोरी की वसूली की गई ।
सीमेंट	760 बोरी	360 बोरी	765 बोरी	750 बोरी
स्टील	243 मि.टन	1 मि.टन	1621.42कि.ग्रा.	1641.4 कि.ग्रा.

...

(घ) इस निर्माण कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित मदें अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित की गई परन्तु इनकी दरें सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई ।

मद का नाम	दर	मात्रा
1. फोर्म वर्क (बीम)	55/- रु.	10.34 वर्ग मीटर
2. फोर्म वर्क (फ्लेट सरफासिज)	55/-रु.	9.54 " "
3. सीमेंट कन्करीट (सबपेडिड फ्लोर) 1:2:4	1950/-रु.	3.706 घन मीटर

पैरा:17 ~~मद/संख्या:~~

ग्रा.सं. 18 दिनांक 7.6.96 राशि 9,62,224/- रु.

निर्माण कार्य का नाम   व्यवसायिक परिसर (कुम्पटी) में ब्लाक संख्या: 23 का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या:   16 वर्ष 1995-96

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु श्री बलविन्दर कुमार गुप्ता संविदाकार को चौथे चलत बिल के कारण 9,61,224/- रुपए का भुगतान किया गया । इस बिल की जाँच पड़ताल के उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई ।

क) इस निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए संविदाकार को अधिनिर्णय पत्र संख्या: एच.पी.एन.बी.पी.(डी) लेखा -7/95-805 -11 दिनांक 1.8.95 निविदा राशि 26,50,764.34 रु. के लिए निविदा स्वीकृत की गई । इस निविदा को संविदाकार के पक्ष में निम्नतम दरों के आधार पर स्वीकृत किया गया । परन्तु निम्नतम दरों के आधार औचित्य की पुष्टि हेतु विभागीय औचित्य विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आधार पर 134.99% का प्रिमियम के औचित्य की पुष्टि नहीं होती ।

ख) माप पुस्तिका संख्या: 93 पृ. 68 की प्रविष्टी के अनुसार मद संख्या 29 प्रीकास्ट टैराजो टाईलज का निष्पादन अतिरिक्त मद के रूप में किया गया तथा 370/- रु० प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया तथा इस चलत बिल तक 954.46 वर्गमीटर मात्रा निष्पादित की गई । परन्तु अतिरिक्त मद की दर अनुबन्ध के आधार पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिस कारण इस मद के निष्पादन हेतु किए गए भुगतान की

औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकती है । इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाए ।

ग इस निर्माण कार्य के लिए मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या: एच.पी.एन.बी.पी.(डब्ल्यू) व्यवसायिक परिसर/94-3377 दिनांक 25.5.95 के अनुसार केवल व्यावहारिक प्राक्कलन राशि 1128014/-रु. ही स्वीकृत किया गया जो कि मात्र निविदा प्राप्त करने के लिए किया गया । परन्तु नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई ।

घ) माप पुस्तिका संख्या: 98 पृ0 75 के अनुसार इस चालू बिल तक कुल 39,12,735/- रुपए के मूल्य का निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था । जिसके ऊपर संविदाकार से नियमानुसार सेल्स टैक्स के रूप में 2 प्रतिशत की दर से राशि 78255/- रु0 की कटौती की जानी थी परन्तु वास्तव में 75121 रु. की ही कटौती की गई । इस प्रकार विक्रीकर के कारण 3134 रु. की संविदाकार से कम कटौती की गई जिसे तुरन्त वसूल किया जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाए ।

पैरा 18 <u>वा0सं0 25(111) दिनांक 11.6.96 राशि 63752/- रु.</u>

निर्माण कार्य का नाम : व्यवसायिक परिसर कुसुम्पटी में ब्लाक सं0 एन-1 का शेष निर्माण कार्य व एम-1 व एन-1 के मध्य सिढियों का निर्माण कार्य

अनुबन्ध संख्या: 4 वर्ष 1994-95

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु श्री संतविन्द्र कुमार गुप्ता संविदाकार को पांचवे व अन्तिम बिल में राशि 63752/- रुपए का भुगतान किया गया । इस बिल की जांच के उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई ।

क. इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार को अधिनिर्णय पत्र सं0 एच.एन.बी.पी.(डी)लेखा-7/94-334-40 दिनांक 10.1.95 द्वारा निविदा राशि 7,81,449.70 रु0 के लिए जारी किया गया परन्तु सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार निष्पादन से पूर्व इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो कि अनियमित है । इस के अतिरिक्त विभागीय औचित्य की पुष्टि हेतु विस्तृत विश्लेषण भी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आधार पर न्यूनतम दरों की पुष्टि हो सके ।

83 577

आ) बिना निविदा बुलाए अतिरिक्त दो मंजिलों के निर्माण हेतु आवार्ड करने में अनियमितता ।

इस निर्माण कार्य के साथ ब्लाक संख्या: एन-1 के उपर दो मंजिलों का अतिरिक्त निर्माण कार्य श्री बलविन्दर कुमार गुप्ता को उन्हीं दरों पर पत्र सं० एच.एन.बी.पी.(डी)लेखा-7/95-1134-38 दिनांक 31.3.95 द्वारा दिया गया । इस प्रकार इस कार्य पर दो अतिरिक्त मंजिलों के निष्पादन के साथ कुल व्यय 2395907/ रुपए किया गया जैसे कि माप पुस्तिका संख्या 57 पृ. 63 में निर्दिष्ट प्रविष्टि से स्पष्ट है । इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्या: 4 वर्ष 1994-95 के अनुसार निविदा राशि 7,81,449.70 रु० स्वीकृत की गई थी जबकि इस प्रकार इस अतिरिक्त निर्माण कार्य दो मंजिलों के निष्पादन के लिए 16,14,457.30 रु. (23,95,907 -781449.70) व्यय किया जा चुका था इस व्यय हेतु नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की ग जैसे कि अनुमान लागत, डी.एन.आई.टी.प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति व निविदा प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई । केवल ठेकेदार को दो मंजिलों का अतिरिक्त निर्माण कार्य निष्पादन हेतु कहा गया जिसके लिए ठेकेदार से लिखकर लिया गया कि अनुबन्ध सं० 4 वर्ष 1994-95 की दरों के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादित करने हेतु वह तैयार है इससे स्पष्ट है कि दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कार्य 16,14,457.30 रुपए का बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए व बिना निविदा बुलाए ही अवार्ड किया गया जो कि मात्र ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ही किया गया लगता है । इसके अतिरिक्त ठेकेदार को सारे कार्य को/स्वीकृत टेन्डर के अनुसार ही पूर्ण किया जाना था जैसे कि पत्र सं० एच.पी.एन.बी.पी.ए.बी.(बी)निविदा 94-1540 दिनांक 14.3.95 में स्पष्ट रूप से कहा गया है । यह कार्य 10.1.95 को अवार्ड किया गया व उसी तिथि के तीन मास के भीतर 9.4.95 तक कार्य पूर्ण किया जाना था जबकि यह कार्य 15.9.95 को पूर्ण किया गया तथा समय में पत्र सं० एच.बी.एन.बी. ए.बी.(बी)-निविदा/बलविन्दर गुप्ता/94-3655 दिनांक 28.6.96

द्वारा बढ़ोतरी स्वीकृत की गई जबकि 14.3.95 के पत्र में अतिरिक्त दो मंजिलों का निर्माण कार्य अवार्ड करते समय विशेष रूप से लिखा गया था कि समय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी परन्तु इसके विपरीत समय में बढ़ोतरी की गई जो कि स्पष्ट रूप से ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए की गई । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस निर्माण कार्य के अवार्ड करने में ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है । यह अनियमितता आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है ।

ग) <u>अतिरिक्त मदों का निष्पादन</u>

इस निर्माण कार्य के निष्पादन में कुछ अतिरिक्त मदें 45023 रु. के भुगतान पर निष्पादित की गई जो कि मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मद विवरणी के रूप में स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक मदों की अलग-2 दरें स्वीकृत की गई । परन्तु लेखा परीक्षण में जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि वास्तविक भुगतान निम्नलिखित अतिरिक्त मदों के लिए स्वीकृत दरों से अधिक दरों पर किया गया तथा स्वीकृत अतिरिक्त मद विवरणी में कटिंग करके भुगतान योग्य राशि बढ़ा दी गई जो कि अनुचित था । इस प्रकार ठेकेदार को 1390 रु. अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है । इस राशि की तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

क्रमांक	अतिरिक्त मद का नाम	माप पुस्तिका	निष्पादित मात्रा	स्वीकृत दर	भुगतान दर	अधिक भुगतान राशि
1.	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग 27.5. से.मी. लम्बो वायर स्प्रिंग फोर रोलिंग शटर	57 पृ.46	14 नग	245.25	247.20	27.30
2.	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग प्लेन एसबेस्टस सीमेंट शीटस ।	57 पृ.55	184.81 वर्ग मी.	89.40	90.10	139.40
3.	चुने की पोचाई का कार्य	57 पृ. 60	1056.23 वर्ग मीटर	1.15	2.20	1108.80
4.	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग रोलिंग शटर्स	57 पृ. 46	40.04 वर्ग मीटर	363.15	366	114.10
						1389.60

85 (579)

1| घ) प्रतिस्थानी मद का निष्पादन:

इस निर्माण कार्य के निष्पादन में 234,785/- रु. की मदें प्रतिस्थानी मदों के रूप में निष्पादित की गई । इन मदों में से ब्लाईट ग्लेजड टायलज 6 एम.एम.थिक इन कर्टिंग सीमेंट प्लास्टर 1:3(1 सीमेंट 3 रेता) साईज 8"x4x (200 एम.एम.x100 एम.एम) मद के निष्पादन में अधिक दर स्वीकृत की गई । यह मद अनुबन्ध में मौजूद थी तथा जिसकी दर ठेकेदार ने 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अंकित की थी । वास्तविक निष्पादन में केवल साईज में अन्तर था शेष नाप पद्धति अनुबन्ध के अनुसार ही थी । अनुबन्ध में टायल का साईज मानक दर संहिता 1987 के अनुसार 152एम.एमx 152 एम.एम.x 6 एम.एम. था परन्तु वास्तविक निष्पादन व भुगतान के लिए माप पुस्तिका संख्या: 57 पृ0 53 के अनुसार 200 एम.एम. x100 एम साईज के लिए 448 रु. प्रति वर्ग मीटर दर स्वीकृत की गई जो कि अधिक एवं नियमानुसार अनुचित थी क्योंकि यह दर शडयूल -1987 पर 30% बढाई गई थी । मानक दर सूची 1987 के अध्याय -13 में नोट-4 के अन्तर्गत यदि वास्तविक निष्पादन में इस मद में अन्तर आता है तो यदि 150x75x6 एम.एम. या 108x108x6 एम.एम. साईज की टायल निष्पादित की गई हो तो उसी स्थिति में ही 30% अधिक देय दर में जोडना होता है परन्तु इस निर्माण कार्य में ~~अतः~~ वास्तविक निष्पादन 200x100 एम.एम. में किया गया था तथा टायल की मोटाई भी नहीं बढाई गई थी । इसलिए इसमें देय दर पर 30% अधिक जोडने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । यह केवल अनुचित रूप से ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ही दिया गया है । इस प्रकार माप पुस्तिका -57 पृ0 -53 के अनुसार कुल मात्रा 172.48 वर्ग मीटर निष्पादित की गई तथा 98/- रु0 (448-350=98) रु, प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 16903/- रु. का अधिक भुगतान किया गया जिसकी ठेकेदार से अविलम्ब वसूली की जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

ड.) माप पुस्तिका सं0 57 पृष्ठ-63 के अन्तर्गत भुगतान करते समय

अनुबन्ध के अनुसार । प्रतिशत कुल ...21575/- रुपए की ही कटौती की जानी थी जिसे अब ... वसूल किया जाए ।

अंतर्गत 21360/- की कटौती की गई तथा 16/-रु. की कम कटौती की गई ।

घ) इस निर्माण कार्य हेतु कुल 2532/ बोरी सीमेंट भण्डार से जारी की गई तथा सभी को खपत की गई जैसे कि माप पुस्तिका 57 पृ0 -64 तथा सीमेंट खपत विवरणी से स्पष्ट है परन्तु अनुबन्ध के खण्ड-12 के अनुसार 90% सीमेंट खाली बोरी को 1 रु0 प्रति बोरी की दर से 2279 रु0 (2532x90x1) की वसूली नहीं की गई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है । इस राशि को ठेकेदार से तुरन्त वसूली की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए ।

पैरा 19 वा0 सं0 27 दिनांक 11.6.96 राशि 11,38,645 रु.

नि/काकार्य/का/नाम :
निर्माण कार्य का नाम : व्यवसायिक परिसर कथुम्पटी में ब्लाक सं0 27,28,29 व 30 का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 10 वर्ष 1995-96

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु श्री सतीश कुमार गोयल संविदाकार को आठवें चालू बिल में राशि 11,38,645/- रुपए का भुगतान किया गया । इस बिल की विस्तृत जांच के उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :-

क) यह निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार को अधि निर्णय सं0 एच.एन.वी.पी.(डी) लेखा- 7/95-402-08 दिनांक 7.6.95 द्वारा निविदा राशि 1,27,05,303/- रु. के लिए अवार्ड किया गया । इस निर्माण कार्य के लिए व्यवहारिक प्राक्कलन राशि 6062578/-रु. के लिए स्वीकृत किया गया परन्तु तकनीकी स्वीकृति निष्पादन से पूर्व स्वीकृत नहीं करवाई गई । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि व्यवहारिक प्राक्कलन में संशो संशोधन करके निविदा बुलाने से पूर्व डी.एन.आई.टी. राशि 55,50,791/- रु. के लिए स्वीकृत करवाई गई जबकि वास्तव में यह 55,70,791/- रु. थी क्योंकि मात्रा सूचि के अनुबन्ध बी. में डी.एन.आई.टी राशि का योग 2,79,466/- रुपए बनता है जबकि योग 2,59,466/- रु. ही दिखाया गया है जिसके फलस्वरूप डी.एन.आई.टी. राशि 20,000/- रु. से कम स्वीकृत करवाई है । इस प्रकार स्वीकृत निविदा में ड्रिनियम

128.89%: दिया गया है जो कि अधिक एवं गलत है । वास्तव में यह प्रिमियम 128.87% होना चाहिए था । इस प्रकार इस निविदा में समस्त प्रिमियम ~~%/%/%/%/%/%~~ गलत व अधिक स्वीकृत किया गया जो कि आपत्तिजनक है जिसके कारण अधिक भुगतान भी हो सकता है । इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

ख) <u>माप पुस्तिका-95 पृ0 38</u>

माप पुस्तिका की प्रविष्टि के अनुसार इस बिल में ठेकेदार को 1,52,653/- रू. सुरक्षित अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया जबकि इस बिल तक पहले ही 9,53,336- रू. संविदाकार को दिया जा चुका था । इस बिल में केवल 2,92,061/- रू. की वसूली की गई तथा 1,52,653/- रू. अतिरिक्त अग्रिम इसी बिल में और दिया गया । इस प्रकार संविदाकार के पास कुल राशि 8,13,928/- रुपए की राशि सुरक्षित अग्रिम के रूप में वसूली योग्य शेष थी । इतने अधिक सुरक्षित अग्रिम स्वीकृत करते समय पी.डब्ल्यू. एकाउंट कोड के पैरा 10.2.24 के अनुसार औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गईं । इतने अधिक अग्रिम भुगतान करने का औचित्य भी स्पष्ट नहीं किया गया न ही नियमानुसार वसूली की गई और ठेकेदार से भुगतान से पूर्व ~~%%~~ नियमानुसार इन्डेंचर भी नहीं किया गया जबकि यह हुई सुरक्षित अग्रिम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे चालू बिलों में दिया गया था परन्तु वसूली आठवें चालू बिल तक भी नहीं की गई जो कि अनियमित एवं अनुचित थी तथा संविदाकार को इस प्रकार अनुचित लाभ दिया गया है इसकी स्थिति आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाई जाती है ।

ग) <u>माप पुस्तिका 95 पृ.-41</u>

लेखा परीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य में नियमानुसार 2% सेल्स टैक्स की कम कटौती की गई । आठवें चालू बिल तक कुल निष्पादित मात्रा 20,34,053/- रू. मूल्य की हो चुकी थी तथा 2% की दर से सेल्स टैक्स के रूप में 40681/- रू. की कटौती की जानी थी जबकि वास्तव में मात्र 25561/- रू. की ही

कटौती की गई । इस प्रकार 15120/- रु. कम कटौती की गई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है । इस राशि को तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

घ) इस निर्माण कार्य में इस बिल तक कुल 10530 बोरी सीमेंट की खपत की गई जैसे कि माप पुस्तिका 95 पृ. 41 की प्रविष्टि तथा सीमेंट खपत विवरणी से स्पष्ट है । परन्तु अनुबन्ध के खण्ड- 42 के अनुसार 90% सीमेंट खाली बोरी की 1/- रु. प्रति बोरी की दर से 9477/- (10530×90×1) की वसूली नहीं की गई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है । इस राशि की ठेकेदार से तुरन्त वसूली की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए ।

ङ.) भण्डार से निर्माण कार्य सामग्री को जारी करने में अनियमितता ।

इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी भण्डार निर्माण कार्य सामग्री की जांच पड़ताल करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(1) माप पुस्तिका संख्या: 95 पृष्ठ-40 की प्रविष्टि के अनुसार 10530 बोरी सीमेंट भण्डार से इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी की गई व इतनी ही बोरी की ठेकेदार से वसूली भी की गई। परन्तु खण्ड कार्यालय में ठेकेदार के लेजर खाते में इस बिल की प्रविष्टियों तक जारी इन्डेंटों से कुल मात्रा 9420 बोरी की ही प्रविष्टियाँ की गई थी और तथा 1290 बोरी की कम प्रविष्टि की गई जबकि माप पुस्तिका में 1290 बोरी वसूली के लिए जारी दिखाई गई क्योंकि इस चलत बिल तक वास्तविक खपत विवरणी के अनुसार 10707 बोरी का उपयोग बताया है जबकि स्टोर से मात्र 9240 बोरी ही जारी की गई थी जबकि नियमानुसार स्टोर से जारी मात्रा से अधिक की खपत नहीं हो सकती । इससे प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया गया है तथा उसका स्तर निम्न है। इस तथ्य को लुप्त करने के प्रयोजन से माप पुस्तिका में 1290 बोरी दूसरे निर्माण कार्य से प्राप्त की गई दिखाई है परन्तु इसके इन्द्राज अभिलेख में पाए नहीं गए । इस प्रकार 1290 बोरी की स्वयं इस निर्माण कार्य में संदिग्ध प्रतीत होती है । इसकी अभिलेख से छानबीन करके अनुपालना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(634) 148

—89 583

2) माप पुस्तिका -95 पृ.40 की प्रविष्टी के अनुसार इस बिल तक इस निर्माण कार्य के लिए सी.जी.आई/पी. जी.आई शीट्स की मात्रा 8.177 मिट्रिक टन भण्डार से जारी की गई जबकि माप पुस्तिका के अनुसार उपरोक्त मात्रा के स्थान पर केवल 7 मिट्रिक टन मात्रा ही जारी की गई । इस प्रकार 1.177 मि.टन की मात्रा माप पुस्तिका व वसूली /अंत विवरणी में कम दर्शाई गई है । यह कम दर्शाई गई मात्रा इन्डैंट सं0 आई.एस/95-16 व आई एस./95-19 के द्वारा जारी कुल 5.177 मि.टन की मात्रा को माप पुस्तिका में मात्र 4 मि.टन दर्ज करने के कारण इस अनियमितता का लेखांकन करके सक्षम अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

3) माप पुस्तिका -95 पृ. 40 की प्रविष्टि के अनुसार इस बिल तक इस निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु विभिन्न डाया के टोट स्टील की मात्रा 190.744 मि.टन भण्डार से जारी की गई जबकि मण्डल कार्यालय में ठेकेदार के लेजर खातों के अनुसार इस बिल तक जारी की गई मात्रा 166.734 मिट्रिक टन थी । इस प्रकार 24.01 मि.टन वसूली हेतु लेजर में कम प्रविष्टि की गई जिसकी अभिलेख से छानबीन करके अनुपालना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए ।

<u>पैरा 20</u> <u>कार्य का नाम :</u>

कन्युनिटी जोनल सेन्टर व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य ।

<u>उप कार्य:</u> ब्लाक संख्या : 31,35,38,39 का निर्माण कार्य

अनुबन्ध: अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1989-90

एजैन्सी : सतीश कुमार गोयल ।

उक्त कार्य की विस्तृत जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितायें पाई गई ।

1) एम.बी.संख्या: 133 पृष्ठ- एक पर मद संख्या= एक फाउंडेशन ट्रेन्चीज की खुदाई की पैमाईश करते समय मात्रा 146.53 घन मी. के स्थान 146.93 घन मीटर ली गई थी । अतः मात्रा 0.40 अधिक ली गई थी जिसके कारण ठेकेदार को (0.40×43) 80/17 रु 0 17 रु. का अधिक भुगतान किया गया था जिसको ठेकेदार से वसूली की जाए ।

ख) ख) एम.बी.संख्या: 132 पृ०334 से एम.बी संख्या: 132 पृष्ठ 4 पर मद संख्या: 3/4 (एफ) बीम केन्टीलीवर से सम्बन्धित टेरिंग के कार्य की मात्रा की प्रविष्टि करते समय मात्रा 1585.27 वर्ग मी0 के स्थान पर 1587.27 वर्ग मी0 की ली गई थी । अत: कार्य की मात्रा 2 वर्ग मीटर अधिक ली गई थी जिसके कारण ठेकेदार को 61x2 कुल 122/- रु. का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्रोत से वसूली करके जमा की जाए ।

ग) <u>कुल 10541/- रु. की कम वसूली :-</u>

ठेकेदार से नौवें बिल तक 11712 सीमेंट की बोरियों की वसूली की गई थी । सीमेंट की खाली बोरियों की कुल 1/- रु. प्रति बोरी की दर से 90 प्रतिशत बोरियों की कुल 10541/- रु0 की वसूली की जानी थी जो कि नहीं की गई थी । अत: कुल 10541/- रु. की ठेकेदार से वसूली की जाए ।

घ) <u>कुल 169419/- रु. की सामग्री का सम्भावित दुर्विनियोजन :-</u>

स्टोर से जारी सामग्री की जांच करने पर पाया गया कि सामग्री की जितनी मात्रा इनडेंटों द्वारा भण्डार से जारी की गई थी एम.बी.में सामग्रीप्राप्ति की उससे कम मात्रा दिखाई गई थी । सामग्री प्राप्ति की एम.बी.में कम मात्रा दिखाने के कारण स्टोर से जारी की गई सामग्री के मूल्य की ठेकेदार से वसूली नहीं की गई थी । इस सामग्री के मूल्य के दुर्विनियोजन की सम्भावना है जिसका विवरण नीचे दिया गया है । अत: निम्न विवरणानुसार कुल 169419 रु. की वसूली सामग्री की वसूली न करने के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए इस राशि की उचित स्रोत से वसूली करके जमा की जाए ।

...

एम.बी.सं. जिस पर सामग्री प्राप्ति की प्रविष्टि की गई थी। [illegible]	इन्डेंट नं./दिनांक	जारी की गई सामग्री की मात्रा।	एम.बी.में प्राप्त दिखाई सामग्री की मात्रा।	कम प्राप्त क्या गई सामग्री की मात्रा।
	2.	3.	4.	5.
स्टोर	आई.एस./96-31-39-33	8 एम.एम.1.861एम.टी		
डी 118 पृ.54	" "/96-31-39-37 दि.1.6.96 दिनांक 1.6.96	20 " " 5.000 " " 25 " " 5.200 " "		
	आइ एस./96-31-39-39 दिनांक 1.6.96	20 " " 5.050 " " 25 " " 4.855 " "		
		21.966	19.966 एम.टी.	2.00एम.टी
डी 143 पृष्ठ-36	आई.एस/96-31-39-60 दिनांक.24.8.96	16 " " 1.492 एम.टी		
	आई.एस."-62 दि. 24.8.96	8 " " 2.00 " " 10 " " 0.245 " " 20 " " 2.980 " "		
	~~यथोपरि/दिनांक~~ यथोपरि-65 दि.26.8.96	8 " " 1.515. " "		
	यथोपरि-66 दि.29.8.96	8 " " 2.078 " "		
	यथोपरि-68 दि. [illegible].9.96	10 " " 1.500 " " 12 " " 0.985 " "		
	यथोपरि-70 दि. 5.9.96	8 एम.एम.2.00 " " 10 " " 2.00 " " 25 " "2.975 " "		
	यथोपरि-71 दि.10.9.96	20 " "2.530 " "		
		22.30 एम.टी.	21.07	1.23 एम.
132 पृ.56	आईएस./96-31-39 दिनांक 17.10.96	8एम.एम.2.010 10 " " 2.000 16 " " 1.000 25 " " 2.000		
		7.010एम.टी	5.010 एम.टी	2.00एम
132 पृ.56	आई.एस/96-31-39-83 दिनांक 28.10.96	8 एम.एम1.00 एम.टी 10 " " 1.00 " " 20 " " 4.00 " " 25 " " 4.00" "		
		10.00 " "	5.00 एम.टी.	5.00
		कुल कम प्राप्त दर्शाई स्टोर की मात्रा		10.23 एमटी

सीमेंट

एम.बी.143	आइ.एस./96-31-39-58 दिनांक 7.8.96	90 बोरी
	यथोपरि-59 दिनांक 12.8.96	90 "
	यथोपरि-61 दिनांक 21.8.96	100 "
	यथोपरि-64 दिनांक 26.8.96	180 बोरी
	यथोपरि-65 दिनांक 29.8.96	180"
	यथोपरि-67 दिनांक 31.8.96	100"
	यथोपरि-69 दिनांक 5.9.96	100 "
	यथोपरि -72दिनांक 12.9.96	100 "
	यथोपरि-73 दिनांक 16.9.96	180 "
	यथोपरि-74 दिनांक 16.9.96	180 "
	यथोपरि-77 दिनांक 1.10.96	180 "
	यथोपरि"-76 दिनांक 27.9.96	180 "
		1660 " 1560 बोरी 100बो

कम वसूली	मात्रा	दर	राशि
स्टील	10.23×	15300 =	156519.90
सीमेंट	100×129		12900.00
		कुल कम वसूली	169419.00

ड.1 उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य का अनुमान तथा निविदाओं का तुलनात्मक विवरण निविदाओं सहित लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के समय किया जाएं ।

पैरा:- 21 कार्य का नाम: आवासीय बस्ती कबुम्पटी जोनल सेन्टर उप कार्य एम.आई.जी.8 12 नग फ्लेट का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध : अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1995-96

ऐजेन्सी: मै0 कपिल कन्स्ट्रक्शन

उक्त कार्य में दरवाजे की फ्रेमजस्टील की लगवायी लगाई गई थी तथा दरवाजे (Door Shutter) लकड़ी के लगाये गये थे दरवाजे (Door Shutter) में लगाई गई लकड़ी को पेन्ट करते समय दरवाजे में लगाई लकड़ी को पेमाइश करने की बजाए फ्रेम की पेमाइश की गई थी । जिसके कारण ठेकेदार को 1575 रू. का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करके नगर विकास प्राधिकरण निधि

में जमा की जाए। अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है

क्रम सं.	एम.बी./पृष्ठ संख्या:	अनुबन्ध को मद का विवरण	कार्य की निविदा में मात्रा दर्शाई गई थी वर्ग मी.	वास्तविक मात्रा वर्ग मी.	अधिक दर्शाई गई कार्य की मात्रा वर्ग मी.	अनुबन्ध के अनुसार दर प्रति वर्ग मीटर	अधिक भुगतान की राशि
1.	105 पृष्ठ 67	नई लगाई लकड़ी पर प्राइमरी कोट करना	286.68	246.29	40.39	15.00	606.00
2.	105 पृष्ठ 67	नई लगाई लकड़ी पर प्राइमरी कोट के अतिरिक्त दो कोट पेंट करना।	286.68	246.29	40.39	24.00	969.00
						योग:-	1575.00

पैरा 22:-(क) कु0 13150 रूपए की कम वसूली :-

वाउचर सं0 39 दिनांक 21.3.97 व रसीद संख्या 58466 दिनांक 21.3.97 द्वारा कु0 121821.00 रू. स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया मण्डी गोबिन्दगढ़ से प्राप्त किए गए थे। यह राशि स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया मण्डी गोबिन्दगढ़ से उन्हें स्टील खरीदने हेतु दिए गए अग्रिम भुगतान की सामग्री प्राप्ति के पश्चात बची बकाया राशि के रूप में प्राप्त की गई थी। समायोजन वाउचर संख्या 7 वर्ष 1996-97 जिसके द्वारा उक्त फर्म को दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था के अनुसार फर्म से बकाया राशि के कु0 1,34,971 रूपए प्राप्त करने थे जबकि उक्त वाउचर द्वारा फर्म से कु0 1,21,821.00 रू. प्राप्त किए गए थे। अतः निम्न विवरणानुसार उक्त फर्म से कु0 13150 रूपए कम प्राप्त किए गए जिनको सम्बन्धित फर्म से वसूली करके जमा की जाये।

वा.सं. जिसके द्वारा अग्रिम राशि दी गई थी।	दिनांक	अग्रिम राशि	वा0सं0 वर्ष 1996-97 द्वारा समायोजित राशि	बकाया राशि
42	17.5.96	20,67,800	20,28,441	39,359.00
24	10.6.96	20,63,855	20,49,045	14,810.00
23	3.7.96	20,81,000	20,57,463	23,537.00
45	18.10.96	17,71,100	17,13,835.00	57,265.00
			कुल बकाया राशि	1,34,971.00
			प्राप्त राशि	1,21,821.00
				13,150.00

पैरा 22(ख) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मण्डल कार्य द्वारा सहायक अभियन्ता को मस्ट्रोलों व अन्य भुगतान करने हेतु प्रतिमाह राशि दी गई थी। राशि वास्तविक खर्चे से अधिक दी जाती रही जिसे माह के अन्त में सहायक अभियन्ता द्वारा वापिस मण्डल कार्यालय में जमा किया गया दिखाया गया था। जबकि निम्नानुसार मास वाउचरों के आधार पर सहायक अभियन्ता को भुगतान हेतु राशि दी जानी चाहिए थी। सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह

वास्तविक खर्चे के अनुमान से अधिक राशि प्राप्त करके तथा अधिक प्राप्त राशि का पूर्ण माह दुरुपयोग करने के पश्चात नाथिल मण्डल कार्यालय में जमा किया दिखाया गया था । अतः सहायक अभियन्ता को वास्तविक खर्चे से अधिक राशि का भुगतान करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए । सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रतिमाह खर्चे के उपरान्त बकाया राशियों को नाथिल मण्डल कार्यालय में जमा करने का विवरण निम्न प्रकार से है ।

उपमण्डल-1		उपमण्डल -2	
माह	राशि	माह	राशि
11/96	5379.00	4/96	3371.00
12/96	4650.00	5/96	4624.00
1/97	4650.00	6/96	5096.00
		7/96	9449.00
2/97	4600.00	8/96	8379.00
3/97	8065.00	3/79	1134.00

पैरा 23

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अवासीय बस्ती विकास नगर में सड़क पर लोगों द्वारा निर्माण सामग्री उतारने के फलस्वरूप उनसे स्टेकिंग चार्जिज (Staiking Charges) की वसूली की जा रही थी । । स्टेकिंग चार्जिज की वसूली प्राप्त राशि को समय पर मण्डलीय कार्यालय में जमा नहीं किया जा रहा था । प्राप्त राशि को कई दिनों तक हस्तगत रखने के पश्चात जमा किया गया था । समय पर प्राप्त राशि को जमा न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त राशि को कार्यालय में समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए । प्राप्त राशि को देरी से जमा करने के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

प्राप्ति की अवधि	प्राप्त राशि	कार्यालय में जमा करने की तिथि व रसीद सं०
1.11.95 से 10.4.96	780.00	58310 दिनांक 15.5.96
11.5.96 से 15.9.96	1000.00	58386 दिनांक 27.9.96
9.10.96 से 29.10.96	780.00	58420 दिनांक 6.12.96

...

95 (590)

पैरा :-24 वा0सं0 23 दिनांक 13.3.97 ‌‌‌‍(र0 1391.00 रू.)

(क) उक्त वाउचरों द्वारा वाहन संख्या: एच.आई.एस. 2673 व जीप एच.पी.-51-0948 के पैट्रोल के बिलों का भुगतान किया गया था। वाउचर/बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल संख्या 15644 दिनांक 19.2.97 द्वारा पवन ब्यू फिलींग स्टेशन से 20 लीटर पैट्रोल (र0 419 रू. का वाहन सं0 एच.आइ.एस. 2673 में डाला गया था लेकिन इस पैट्रोल के डालने की प्रविष्टि लॉग बुक में नहीं की गई थी। जिससे प्रतीत होता है कि इस वाहन में यह पैट्रोल डाला ही नहीं गया था। अत: (र0 419.00 रू.की सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी से वसूली करके जमा की जाये।

(ख) वाहनों की लॉग बुकों की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की लॉग बुकों में वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा यात्रा का पूर्ण विवरण नहीं लिखा गया था। लॉग बुक में केवल (Official) कार्य हेतु प्रयुक्त लिखकर प्रविष्टियां की गई थी। लॉग बुकों में नियमानुसार प्रविष्टियां न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में यात्रा का प्रयोजन लिखना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वाहन संख्या: एच.आई.एस. 2673 का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाहनकी प्रति लीटर पैट्रोल की खपत बहुत कम दिखाई जा रही थी। वर्ष 1995-96 के दौरान कुछ महीनों में 5 कि0मी0 प्रति लीटर से भी कम औसत दिखाई गई थी। माह 4/96 की लॉग बुक के पृ0 64 व 67 पर की गई प्रविष्टि के अनुसार वाहन की औसत 8 कि0मी0 प्रति लीटर निकाली गई थी। वर्ष 1995-96 में यह वाहन 23428 कि.मी. चलाई गई थी तथा 8 कि0मी0 प्रति लीटर की औसत के आधार पर 23428/8 कुल 2928.50 लीटर पैट्रोल की खपत की जानी चाहिए थी जबकि पैट्रोल की खपत 3187.60 लीटर दिखाई गई थी। अत: पैट्रोल की खपत (3187-60 - 2928.50) 259.10 लीटर अधिक दिखाई गई थी इसी प्रकार माह 2/97 में यह वाहन 340 कि0मी0 चली जिस पर 42.50 लीटर पैट्रोल की खपत आनी थी जबकि पैट्रोल की खपत 60 लीटर दिखाई गई थी।

इस प्रकार वाहन का प्रयोग करने पर {259.10+ 17.50} 276.10 लीटर पैट्रोल की खपत अधिक दिखाई गई थी । अतः पैट्रोल की खपत अधिक दिखाने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अधिक दिखाई खपत 276.10 लीटर पैट्रोल के मूल्य को बाजार दर से वसूली करके जमा की जाए ।

घ} वाहनों की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुछ अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग किया दिखाया गया था लेकिन यात्रा का उद्देश्य तथा किन-किन स्थानों पर यात्रा की गई थी का वि विवरण लॉग बुक में नहीं दिया गया था न ही इन प्रविष्टियों को गाड़ी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था । इस प्रकार इन वाहनों का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है । अतः निम्न मामलों में विस्तृत छानबीन करके गाडी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों को सत्यापित न करने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाए तथा प्रयोग की गई गाडी के कि0मी0 की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाए ।

वाहन सं0	दिनांक	जितनी गाडी चलाई गई	जिस अधिकारी द्वारा गाडी प्रयोग की दिखाई गई थी ।
एच.आई.एस. 2673	26.6.96	53 कि0मी0	सहायक अभियन्ताउपमण्डल - 4
यथोपरि	27.6.96	48 कि0मी0	सहायक अभियन्ता उप मण्डल -5
यथोपरि	13.6.96	17 कि0मी0	सहायक नियन्त्रक
यथोपरि	24.6.96	43 कि0मी0	सहायक अभियन्ता उप मण्डल -5
एच.पी.51-948	1.4.97	22 कि0मी0	सहायक अभियन्ता उप मण्डल-4

ङ.} वाहन सं0 एच.आई.एस.3228 की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर किया गया लेकिन की गई यात्रा को गाडी का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा लॉग बुक में हस्ताक्षर करके सत्यापित नहीं किया गया था वाहन प्रयोग करने का उद्देश्य नहीं लिखा गया था केवल कार्यालय प्रयोग

हेतु (Official) लिखकर प्रविष्टि की गई थी । अतः वाहन प्रयोग हेतु उद्देश्य का विवरण देते हुए इन प्रविष्टियों को सम्बन्धित अधिकारियों से सत्यापित करवाया जाए अन्यथा प्रयुक्त वाहन को निर्धारित दर से वसूली करके जमा की जाए ।

दिनांक	स्थान जहाँ यात्रा की गई थी	कितनी कि.मी. यात्रा की गई ।	अधिकारी जिसके द्वारा वाहन प्रयोग किया गया
24.5.96	नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय से डी.सी.आफिस व वापिस कार्यालय ।	18	विधि अधिकारी
5.6.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस वापिस कार्यालय दो बार ।	48	एस.ए
6.6.96	कार्यालय से जी.सी.एस.एस. क्लब वापिस कार्यालय	13	एस.ई
13.6.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस व वापिस कार्यालय	16	विधि अधिकारी
2.1296	कार्यालय से सचिवालय वापिस कार्यालय	5	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)
4.12.96	कार्यालय से डी.सी.आफिस वापिस कार्यालय	18	एस.ई.
13.1296	कार्यालय से डी.सी.आफिस, बी.सी.एस. वापिस कार्यालय ।	31	"
6.2.97	कार्यालय से सचिवालय वापिस कार्यालय	10	टाउन प्लानर ।

पैरा 25 समायोजन वाउचर माह 3/97 रु08,29,632.00

(क) उक्त वाउचर द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री एक कार्य से दूसरे कार्य को हस्तान्तरित की गई थी । माह 4/96 से 2/97 तक हस्तान्तरित की गई सामग्री को माह 3/97 में एक मुश्त समायोजित किया गया था जबकि हस्तान्तरित सामग्री को प्रतिमाह समायोजित किया जाना अनिवार्य था । सामग्री को हस्तान्तरित प्रविष्टि करने के उपरान्त किसी भी हस्तान्तरित प्रविष्टि पर ठेकेदार लेजर का हवाला नहीं दिया गया था जिससे हस्तान्तरित की गई सामग्री की वसूली की जानी थी । अभिलेख पूर्ण न किये जाने के कारण हस्तान्तरित की गई सामग्री की वसूली का लेखा परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका । अतः प्रतिमाह हस्तान्तरित की गई सामग्री की हस्तान्तरण प्रविष्टियाँ न करने

के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जावे तथा रु0829632 रु. की एक कार्य से दूसरे कार्य को हस्तान्तरित की गई सामग्री की वसूली के सम्बन्ध में पूर्ण आर प्रविष्टियाँ करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

(ख) इन्डैंट न0डी.आर.वाई/एस.एच. एस 33/96 मार्च 18/97 व इन्डैंट न.डी.आर.वाई/एस.एच.एस 37-ए/97 दिनांक 18.1.97 द्वारा क्रमशः 39 बैग व तीस बैग सीमेंट के एम.एस एस. रजिस्टर से निर्माण कार्य ब्लाक सी 25 के पीछे रिटेनिंग वाल लगाने हेतु हस्तान्तरित किए थे । हस्तान्तरित प्रविष्टि के अनुसार रु0129 रु. प्रति बैग की दर से क्रमशः रु05031 रु. व 3870रु. कुल राशि रु08901 रु. की नाम व जमा की प्रविष्टि की जानी थी जबकि उक्त समायोजन वाउचर द्वारा दोनों इन्डैंटो के विरुद्ध रु0 3354 रु. प्रति इन्डैंट के हिसाब से कुल राशि रु06708/- रु. की नाम व जमा की हस्तावरण प्रविष्टि की गई थी अतः (8901-6708) रु02193/- रु. की नाम व जमा में कम प्रविष्टी की गई थी । जिसको उचित प्रविष्टि करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 26:- रु0 39755/- रु. की कम वसूली /-

श्री रोहित गुप्ता ने रसीद सं02232 दिनांक 9.7.87 द्वारा रु010000/- रु. एम.आई.जी.II फ्लैट हेतु Earnest Money के रूप में जमा किए गए थे । पत्र सं0एस.डी.ए.,प्रशासन(बी) के. जैड-बी-84 एम.इ -3490-8019-21 दिनांक 24.8.98 द्वारा श्री रोहित गुप्ता को ब्लाक न016 में फ्लैट न0एक आँबटित किया गया । आँबटी को फ्लैट पसन्द न आने पर पत्र सं0 एस.डी.ए.प्रशासन(बी) के.जैड 84/एम.2/ 3490/ 15807 दिनांक 12.1.90द्वारा उक्त फ्लैट का आंवटन रद्द कर दिया गया तथा रु0 1000 रु.,प्र शासकीयव्यय के रूप में जमा करने केा कहा जिन्हें रसीदसं019043 दिनांक 28.2.90द्वारा जमा कर दिया गया था । तथा रजिस्ट्रेशन भविष्य में फ लेट आंवटन हेतु इसआधार पर रखा गया था कि फ्लैट का मूल्य व शर्तें संशोधित आँवटन के समय की मान्य होगी । पत्र सं0एस.डी.ए. प्रशा0(बी) के. जैड-84/एम-2/3490/ 5394-96 दिनांक 20.592 द्वारा श्री रोहित गुप्ता केा ब्लाक स.

बी 12 में फ्लैट न0 9 आवंटित किया गया तथा पत्र सं0 एस.डी.ए. प्रशा.§बी§ के.जैड/84 एम/3490 -10270-42 दिनांक 26.8.92 द्वारा उक्त फ्लैट का मूल्य मु0 84000/- रू0 आंवटी को सूचित किया गया था जबकि उक्त पत्र सं0 दिनांक 12.1.90 के अनुसार फ्लैट का मूल्यांकन वर्ष 1992 को आधार मानकर किया जाना चाहिए था । जो कि ब्लाक बी 12 के फ्लैटों को लागत के आधार पर मु0 123755/-रू. प्रति फ्लैट बनता था व ब्लाक बी-12 के अन्य फ्लैटों के आवंटियों से प्राप्त किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रोहित गुप्ता आंवटी को फ्लैट का कम मूल्य सूचित करके उसे अनुचित मु0 39755/- रू0 लाभ दिया गया है । अत: फ्लैट का कम मूल्य प्राप्त करने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा § 123755-84000§ मु0 39755 रू. की उचित स्त्रोत से वसूली करके जमा की जाए ।

ख§ इसके अतिरिक्त उपरलिखित पत्र सं0 दिनांक 20.5.92 द्वारा आंवटी को 45 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा लेने को कहा गया था ~~जबकि~~/ दिनांक 20.5.92 से 16.8.96 तक आंवटी को फ्लैट का कब्जा सौंपने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी न ही मु0 100 रू. प्रतिमाह की दर से वाच एण्ड वार्ड चार्जिज की वसूली की गई थी अत: दिनांक 20.5.92 से 16.8.96 तक मु0 100/- रू. प्रतिमाह की दर से मु0 5100/- रू. की वसूली उचित स्त्रोत से करके जमा की जाए ।

ग§ उक्त फ्लैट के आंवटन के पश्चात वाउचर सं0 20 दिनांक 12.3.97 द्वारा इस फ्लैट की विशेष मुरम्मत पर मु0 4723/- व्यय का व्यय किया गया था । आंवटन के समय फ्लैट पूर्ण रूप से तैयार था फ्लैट की विशेष मुरम्मत के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए मुरम्मत पर हुए व्यय का दायित्व निर्धारित करके मु0 4723 रू. की वसूली सुनिश्चित की जाए ।

... ...

पैरा 27

संविदाकारों को 10 सी.सी. के दावों के भुगतान के समय 2,50,049 रु. का अधिक भुगतान करना ।

निम्न वाउचरों द्वारा संविदाकारों को अनुबन्ध की धारा 10 सीसी के दावों के भुगतान करते समय 250049 रु. के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए

क) वाउचर संख्या 54 माह 6/96 राशि 4,49,246 रु.

इस वाउचर द्वारा राशि 4,49,246 रु. का भुगतान संविदाकार श्री एम.एल. गुप्ता एसोसीऐटस को अवधि 01.01.96 से 31.3.96 व 4/96 से 6/96 के दौरान देय 10 सी.सी. दावों के लिए किया गया। इस दावे की स्वीकृति मुख्य प्रशासक नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 के पत्र संख्या-एचपीएनवीपी-एवी(वी)(टेंडर)(वीसीएस)पेस-II/जावना 3/एमएल गुप्ता/96-3326, दिनांक 18.6.96 द्वारा की गई थी। इस दावे की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि 10 सी.सी. के दावे के लिए त्रैमासिक अवधि का निर्धारण अनुबन्ध की क्लाज 10 सीसी पैरा 5(ए) के अनुसार नहीं था। इस पैरा के अनुसार 10 सीसी के दावे के लिए त्रैमासिक अवधि 5/93 से 7/93, 2/96 से 4/96 बनती थी। 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य के लिए Labour Escalation की गणना के लिए Li 53.37रु. लिया गया था जबकि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी वित्तायुक्त एवं सचिव लेबर एवं इम्पलायमेन्ट के कार्यालय पत्र संख्या=श्रम-ए-4-21/93, दिनांक 28.2.96 द्वारा 26 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 45.75 रु. कर दी गई थी। इस बढ़ी हुई मजदूरी का प्रभाव क्लाज 10 सीसी के पैरा 7(बी) के अनुसार त्रैमासिक अवधि 5/96 से 7/96 के दौरान किए गए कार्य के लिए देय था जबकि इस बढ़ी हुई मजदूरी का प्रभाव त्रैमासिक अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया जो कि उपरोक्त क्लाज 10 सीसी के पैरा 7(बी) के अनुसार नहीं था। अतः उपरोक्त त्रैमासिक अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य के लिए Labour Escalation की गणना

के लिए L_1 30.33 ही लेना था तथा उपरोक्त अवधि के लिए Labour Escalation की राशि 38202 रु. निम्न विवरणानुसार बनती थी:

$$839627 \times \frac{25}{100} \times \frac{30.33 - 25.66}{25.66} = 38302.00$$

इस देय राशि के विरूद्ध संविदाकार को 226676 रु. का भुगतान बतौर Labour Escalation किया गया। इस प्रकार संविदाकार को राशि 188474 रु. {226676-38202} का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

{च} वाउचर संख्या 66 माह 6/96 राशि 180536/=रु.

इस वाउचर द्वारा राशि 180536 रु. का भुगतान मैसर्ज अग्रवाल एण्ड कम्पनी को त्रैमासिक अवधि 11/95 से 1/96 व 2/96 से 4/96 के देय 10 सीसी दावे के लिए किया गया। इस दावे की स्वीकृति मुख्य प्रशासक के पत्र संख्या:एचपीएनवीपी-एवी{वी}टेण्डर बीसीएल-फेज-II मैसर्ज अग्रवाल एण्ड कम्पनी/95-3251, दिनांक 15.6.96 द्वारा प्रदान की गई। अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य 274433 रु. के लिए Labour Escalation की गणना में L_1 53.37रु. लिया गया था जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान L_1 30.33 रु. ही देय था क्योंकि वित्तायुक्त एवं सचिव लेबर एण्ड इम्पलायमेन्ट के पत्र संख्या-श्रम-ए-4{27}93-11, दिनांक 28.2.96 द्वारा बढ़ाई गई मजदूरी जो कि 1.3.96 से प्रभावी थी के प्रभाव की देयता 10 सीसी क्लाज के पैरा 7{वी} के अनुसार त्रैमासिक अवधि 5/96 से 7/96 के दौरान किए गए कार्य पर वांछित थी लेकिन संविदाकार को न्यूनतम मजदूरी के बढ़े प्रभाव को अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य राशि 274433 रु. पर दे दिया जो कि 10 सीसी क्लाज के पैरा 7{बी} के विरूद्ध था। अतः अवधि 2/96 से 4/96 के दौरान किए गए कार्य राशि 274433 रु. पर Labour Escalation की राशि 12486 रु. निम्न विवरणानुसार बनती थी :-

$$27443 \times \frac{25}{100} \times \frac{30.33 - 25.66}{25.66} = 12486 \text{ रु.}$$

इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त अवधि 2/96 से 4/96 के लिए Labour Escalation के लिए 74061 रु. का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में इस अवधि के लिए संविदाकार को Labour Escalation के लिए राशि 12486 रु. ही देय थी इस प्रकार 61575 रु. का अधिक भुगतान किया गया अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा :28

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के निर्माण मण्डल नं.II द्वारा माह 6/96 से 3/97 तक करवाए गए भिन्न-2 कार्य बिलों की देय राशि में से विक्रय कर राशि की कम कटौती करने से सरकारी राजस्व को राशि 225019 रु. का घाटा

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के निर्माण मण्डल नं. II द्वारा माह 6/96 से 3/97 के दौरान भिन्न-भिन्न कार्य के चलत बिलों की देय राशि के भुगतान करते समय बिल की कुल राशि में से बिल के दौरान विभाग से जारी सामान की खपत की कीमत, कम करने के बाद शेष राशि पर विक्रय कर की कटौती 20% की दर से की गई, जबकि हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग की विज्ञप्ति संख्या ई.एक्स.एन-एफ(11)-1/92, दिनांक 31.7.93 के अनुसार विक्रय कर की वसूली संविदाकार द्वारा चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के कुल मूल्य के 20% भाग के बराबर होनी थी। इस प्रकार अधिशाषी अभियन्ता निर्माण मण्डल नं. 2 द्वारा संविदाकारों से विक्रय कर की वसूली उपरोक्त सरकारी निर्देशों के विपरीत की गई, जिसके कारण हि.प्र. सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग को राशि 225019 रु. का कम भुगतान करने से सरकारी राजस्व को घाटा हुआ।

उपरोक्त राशि का पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

अतः राशि 225019 रु० की वसूली सम्बन्धित संविदाकारो से करने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सरकार द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों का अक्षरतः पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा :29 कार्य का नाम -बीसीएस के नीचे आवासीय बस्ती फेस-2 का निर्माण कार्य (ए श्रेणी के 17 नम्बर, ई श्रेणी के 12, ए फ्लैटस 8, बी फ्लैटस 16 नं० ई०डब्ल्यू एस फ्लैटस 40, इत्यादि जौब नं० 3(1992-93)

कार्य अनुबन्ध संख्या- 1(वर्ष 1993-94)
संविदाकार का नाम -श्री एम०एल० गुप्ता
वाउचर संख्या: 85 माह 6/96 राशि 356010=00

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 20वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान संविदाकार श्री एम०एल०गुप्ता को किया गया। वाउचर से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर संविदाकार को राशि 208829.58 रु० के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए जिनका विवरण निम्न प्रकार से था :-

क) बिल की मद संख्या:15/ई०आई०(हि०प्र०० मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.5 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 489.77 घन मी० का भुगतान 550 रु० प्रतिघन मी० की दर से मापन पुस्तिका संख्या 466 पेज 60 द्वारा किया गया था। इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(111) के तहत किया गया था। कार्य अनुबन्ध में संलग्न मात्रा अनुसूची(Schedule of quantity) का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य मद जिसकी दर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(111) के तहत निर्धारित की से मिलती जुलती निम्न कार्य मदें अनुबन्धित थी। अतः उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(11) के तहत होना चाहिए था जोकि निम्न प्रकार से है :-

समान कार्य मदों की प्रतिशतता

हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की संख्या	मानक दर	अनुबन्धित दर	अनुबन्ध मद संख्या
21.10	82.05 (91.15-9.10)	75.00	14
11.31	82.20	50.00	16
	164.25	125.00	

प्रतिशतता: निर्धारित दर सूची से नीचे $\frac{125 - 164.25}{164.25} \times 100$

= (-) 23.89%

अतिरिक्त मद की दर
हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.5 की मानक दर — 318.30

+ Similar श्रेणी के कार्य की प्रतिशतता:
-(23.89 %) — (-) 76.04

242.26

इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दर 242.26 रु. प्रतिघन मी. की दर से होना था जबकि कार्य मात्रा 489.77 घन मी. का भुगतान 550 रु. प्रतिघन मी. की की दर से किया गया। अतः इस मामले में राशि 150721.81 रु.(550 रु.-242.26 रु.) x 489.77 घनमी.) का अधिक भुगतान किया गया।

इसी प्रकार किस की मद संख्या 16/ई.आई.) हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.7(डी) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 140.84 घन मी. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 466 पेज 60 द्वारा दर 730 रु. प्रति घन मी. की दर से किया गया। इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(3) के अनुसार

106 600

किया गया था जबकि कार्य अनुबन्ध में संलग्न मात्रा अनुसूची में उपरोक्त मद संख्या 161 ई॰आई॰ द्वारा वर्णित कार्य से मिलती जुलती मदें वर्णित थी अतः इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12}2} के अनुसार होना था जोकि निम्न विवरणानुसार 317.42 रु॰ प्रतिघन मी॰ बनती थी :-

अतिरिक्त मद }दि॰पु॰ मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.7}डी} की मानक दर	417.05 रु॰
+ समरूप कार्य के लिए अनुबन्धित दरों की प्रतिशतता: उपरोक्त के अनुसार }-} 23.89%	}-} 99.63 रु॰
	317.42 रु॰

इस प्रकार संविदाकार को अतिरिक्त मद के लिए 730 रु॰ प्रतिघन मी॰ की दर से भुगतान किया गया जबकि इस मद की दर 317.42रु प्रति घन मी॰ बनती थी। अतः गलत दर निर्धारण से संविदाकार को राशि 58107.77 रु॰ }730रु-317.42रु॰} x 140.84 घन मी॰} का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक भुगतान की गई कुल राशि 208829.58रु॰ }150721 = 81 + 58107 = 77} की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा :30 कार्य का नाम : वी॰सी॰एस के नीचे आवासीय बस्ती का निर्माण फेस 2}एलएचए प्रकार के 48 फ्लैटों का निर्माण कार्य ब्लाक नं॰ 41-42 जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति, सैनीटेशन व साईट डेवेल्पमेन्ट सम्मिलित थी}

एग्रीमेन्ट संख्या : 37 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम : श्री एम॰के॰ मिगलानी

उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री एम॰के॰ मिगलानी को निर्माण मण्डल नं॰ 2 के पत्र संख्या:एचपीएनबीपी}डी-2}एकाउटस/7/95-8-15 दिनांक 1.1.96 द्वारा किया गया। इस कार्य का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। कार्य के प्रथम चलत बिल से चौदहवें चलत बिल तक किए गए भुगतानों की जांच पड़ताल की गई जिसके दौरान संविदाकार को 129523.76 रु॰ का अधिक व गलत भुगतान किया गया। इसअधिक

अदा की गई राशि का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से था :-

(क) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 5/9 (ए) हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 (ए) की कुल मात्रा 20.396 घन मी. का भुगतान 1900 रू. प्रति मी^{3} की दर से मापन पुस्तिका संख्या 531-पेज 7 द्वारा संविदाकार को किया गया। उपरोक्त मापन पुस्तिका संख्या के पेज-4 पर दर्ज उपरोक्त मद की कार्य मात्रा 20.396 एम^3 का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस मात्रा में 15.919 मी^{3} मात्रा कालम बी$_1$, बी$_2$ व बी$_3$ से सम्बन्धित थी इस मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था :

वी$_1$ $2.10 \times 2.18 \times 0.20$ $= .916$ घनमी.

$1 \times 2 \times \frac{2.10 + .40}{2} \times \frac{2.18 + .40}{2} \times .80$ $= 2.660$ मी^{3}

(ख) वी$_3$ $2 \times 2.70 \times 2.78 \times 0.25$ $= 3.753$ मी^{3}

$2 \times 2 \times \frac{2.70 + .40}{2} \times \frac{2.78 + .48}{2} \times .85$ $= 8.59$ मी^{3}

15.919 मी^{3}

उपरोक्त कालमों के टेपर्ड पोरशन की मात्रा की गणना में गलत सूत्र का प्रयोग करने के कारण संविदाकार को 4.70 घन मी. मात्रा का अधिक भुगतान किया गया। कालमों के टेपर्ड पोरशन की मात्रा की गणना में सूत्र $\frac{एच}{3}\left(ए_1 + ए_2 + \sqrt{ए_1 \times ए_2}\right)$ का प्रयोग करने पर संविदाकार को निम्न प्रकार से कार्य मात्रा देय बनती थी :-

वी$_1$ $2.10 \times 2.18 \times .20$ $= .916$ घनमी.

$\frac{.80}{3}\left(2.10 \times 2.18 + .40 \times .48 + \sqrt{2.10 \times 2.18 \times .48 \times .40}\right) = 1.52$ घनमी.

वी$_2$ वी$_3$ $2 \times 2.70 \times 2.78 \times .25$ $= 3.75$ घनमी.

$2 \times \frac{.85}{3}\left(2.70 \times 2.78 + .40 \times .48 + \sqrt{2.70 \times 2.78 \times .40 \times .48}\right) = 5.03$ घनमी.

11.219 घनमी.

कुल देय मात्रा 11·219 घनमी·

कुल मात्रा जिसकी अदायगी की गई 15·919 घनमी·

अतः अधिक भुगतान की गई मात्रा = 4·70 घनमी·

इस प्रकार संविदाकार को 8930·00रु·{4·70 घनमी· x 1900रु· प्रतिघन मी·} का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ख} पांचवें चलत बिल की मद संख्या 5/9{डी}{ दि·पु· मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9·31 डी} की कुल मात्रा 12·02 घन मी· का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 538 पेज 27 द्वारा 1900 रु· प्रति घन मी· की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा में 7·53 घनमी· की कार्य मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 42 से लाया गया था। इस मात्रा 7·53 घनमी· की रिकार्ड एन्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि कालमों ए$_1$ से ए$_3$ व ए$_6$ से ए$_8$ बी$_1$ से बी$_3$ बी$_6$ से बी$_8$ व सी$_1$ से सी$_8$ के लिए फोर्म वर्क का कार्य 2·50 मी· ऊंचाई व कालमों ए$_4$ से ए$_5$ व बी$_4$ से बी$_5$ के लिए 2·20 मी· के लिए किया गया था, जबकि इन कालमों में आर·सी·सी· 1:2:4 का भुगतान व मापन क्रमशः 2·80 मी· व 2·50 मी· की ऊंचाई तक किया गया जबकि आर·सी·सी· का मापन व भुगतान फोर्म वर्क के बराबर किया जाता है। इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त मद के लिए मात्रा घन मी· का अधिक मापन व भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

कालमों ए$_1$ से ए$_3$, ए$_6$ से ए$_8$ बी$_1$ से बी$_3$ बी$_6$ से बी$_8$ व सी$_1$ से सी$_8$

20 x·38x·30x2·50मी· = 5·70 घनमी·

कालमों ए$_4$ से ए$_5$ बी$_4$ से बी$_5$ 4x·38x·30x2·20मी· =1·00घन मी·

योग: 6·70 घन मी·

उपरोक्त देय मात्रा 6·70 घनमी· के विरुद्ध संविदाकार को मात्रा 7·53 घनमी· का भुगतान किया गया जो कि ·83 घनमी·

अधिक थी । इस प्रकार मापन पुस्तिका संख्या 531 के पेज 51 व 53 पर उपरोक्त कालमों के लिए आर.सी.सी. कीमात्रा 7.53घन मी. दर्ज की गई थी जबकि उपरोक्त गणना के अनुसार यह मात्रा 6.70घनमी. बनती थी इस प्रकार संविदाकार में कालमों में आर.सी.सी. की मात्रा 2.49 घनमी. का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ सं.	देय मात्रा	दत्त मात्रा	अन्तर
531	42	6.70	7.53	0.83 मी^{3}
531	51	6.70	7.53	0.83 मी^{3}
531	53	6.70	7.53	9.83 मी^{3}
				2.49 घनमी.

अतः 4731 रु (2.29 घनमी. x 1900 रु. प्रतिघन मी.) की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

ग) पांचवें चलत बिल की मद संख्या 5/9(ए)(हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31(ए) की मात्रा 231.36 घनमी. का भुगतान मापन पुस्तक संख्या 538 पेज 26 द्वारा 1900 रु. प्रतिघनमी. की दर से किया गया। इस मात्रा में 12.60 घनमी. मात्रा को (मापन पुस्तिका संख्या 531 पृष्ठ 46 से लाया गया था, मात्रा 12.60 घनमी. की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि कालम ए1 से ए9 के लिए फोर्म वर्क (फाउंडेशन एवं फूटिंग) में 2.50 मी. की ऊंचाई के लिए किया गया था) मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 45) लेकिन इन कालमों में आर.सी.सी. 1:2:4 का मापन 3.15 मी. ऊंचाई तक किया गया था जबकि आरसीसी 1:2:4 का मापन भी कालमों में किए गए फार्म वर्क की ऊंचाई (2.50 मी.) तक होना था इस प्रकार कालम ए1से ए9 के लिए आरसीसी 1:2:4 की मात्रा 4.32 घनमी देय थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

$प_1$ से $प_9$ 9x•40x•48x2•50 = 4•32 घनमी•

जबकि इस मात्रा के विरुद्ध मात्रा 5•44 घन मी•{9x•40x•48x3•15} का भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार को 2128•00 रु• {5•44-4•32x1900रु• प्रति घन मी•} का अधिक भुगतान किया गया। अतः उक्त राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ} सातवें चलत बिल की मद संख्या 6/11{वि•पु• मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9•41{बी} की मात्रा 66087•05 कि•ग्रा• का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 75 द्वारा 18 रु• प्रति कि•ग्रा• की दर से किया गया। इस मात्रा में 12901 किलो मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 531 पेज 67 से लाया गया था इस मात्रा 12901 कि•ग्रा• की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि 25 एम•एम• व्यास के सरिए की लम्बाई 314•18 मी• मापी गई थी जबकि इस सरिए की लम्बाई का वास्तविक योग 300•98 मी• आता था। इस प्रकार सरिए की मात्रा 50•82 कि•ग्रा•{314•18 मी• -300•98मी• x 3•85 कि• प्रतिमी•} का अधिक मापन व भुगतान किया गया। अतः राशि 914•76 {50•82कि•ग्रा• x 18 रु• प्रति कि•ग्रा•} की वसूली सुनिश्चित की जाए

ड•} आठवें चलत बिल की मद संख्या 5/9{बी} वि•पु• मा•द•अ•/ 1987 की मद संख्या 9•31{सी} की मात्रा 338•87 घन मी• का भुगतान 1900 रु• प्रतिघन मी• की दर से मापन पुस्तिका संख्या 570 पेज 8 द्वारा किया गया। इस मात्रा में 15•94 घन मी• की मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 538 पेज 81 से लाया गया था मात्रा 15•94 घन मी• की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कालमों $वी_3$ $वी_4$-$वी_{3'}$ $वी_{4'}$ व $वी_5$ $वी_6$ - $वी_{5'}$ $वी_{6'}$ के फ्लेज के लिए आरसीसी 1:2:4 का मापन निम्न प्रकार किया गया था:-

2x5•65 x1•00 x•10 = 1•12 घन मी•

जबकि उपरोक्त फ्लेंज के लिए फार्म वर्क 2·56x1·00 मी· के लिए किया गया था। इस प्रकार वास्तविक 1:2:4 उपरोक्त फ्लेंज में 2x2·56x1·00 x·10 = 0·50 घन मी· होनी थी। इस प्रकार संविदाकार को मात्रा 0·62 घन मी का दर 1900 रु· प्रतिघन मी· की दर से अधिक भुगतान किया गया। अतः 1178 रु· की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

च) बारहवें चलत बिल की मद संख्या 4/3 (सि·पु· मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9·16) की मात्रा 147·10 घन मी· का भुगतान 725 रु· प्रतिघन मी· की दर से मापन पुस्तिका संख्या 555 पेज 41 द्वारा किया गया। इस मात्रा में 15·68 घन मी· की मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 573 पेज 55 से लाया गया था मात्रा 15·68 घन मी· की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न प्रविष्टियों की मात्राओं का योग 15·68 घनमी·लगाया गया था जबकि वास्तव में इन मात्राओं का योग 10·04 घन मी· बनता है :

3x3·30x1·50x·20	2·97 घन मी·
3x2·60 1·50x·20	2·34 "
3x1·80x1·05x·20	1·13 "
3x·80x·70x·20	0·34 "
3x·80x·45x·20	0·22 "
1x1·50x2·10x·20	0·63 "
1x2·00x1·80x·20	1·08 "
1x2·35x1·80x·20	0·85 "
1·x1·60x1·50x·20	0·48 "
योग :	10·04 घन मी·

इस प्रकार संविदाकार को कार्य की वास्तविक मात्रा 10·04 घन मी· के विरुद्ध मात्रा 15·68 घन मी· का भुगतान किया गया, जिससे राशि 4089 रु· का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि 4089 रु· की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

छ) चौदहवें चलत बिल की मद संख्या 13/एसआई (हि.प्र.)मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 10.4(सी) in super structure With hoop iron की कुल कार्य मात्रा 3939.68 वर्ग मी. का भुगतान 252.30 रु. प्रति मी2 की दर से किया गया। उपरोक्त मद को कार्य अनुबन्ध(डीएनआईटी) की मद संख्या 13 के लिए substitute किया गया था, जिसके लिए संविदाकार ने अपनी दर 225 रु. प्रति वर्ग भी भरी थी। उपरोक्त कार्य की डीएनआईटी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था का अवलोकन करने पर पाया गया कि डीएनआईटी की कुल राशि(Amount put to tender का आकलन करते समय उपरोक्त मद के लिए दर 62.55 रु. प्रति वर्गमी. लगाई गई थी। जो कि हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 के अनुसार half brick massionary in cm 1:4 in super structure with hoop iron के लिए मान्य थी। संविदाकार द्वारा भरी गई दर 225 रु. प्रति वर्ग मी. का औचित्य भी इसी दर यानि 62.55 रु. प्रति वर्ग मी. पर आधारित था। इसलिए कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 13 को substitute करने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता था केवल टैन्डर के बाद जारी कार्य डीएन आईटी में इस मद में केवल एक शब्द with hoop iron टंकित न होने की वजह से संविदाकार को इस मद के लिए राशि 107553 रु.(252.30-225) x 3939.68 वर्ग मी. रु. का अनुचित भुगतान करना पड़ा। विभाग द्वारा उपरोक्त मद की substitute दर की स्वीकृति करते समय उपरोक्त तथ्यों की गहन जांच पड़ताल नहीं की गई। अतः यह मामला प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

पैरा : 3। <u>कार्य का नाम</u> : वी.सी.एस. के नीचे आवासीय बस्ती का निर्माण फेस-2 (एलएच बी प्रकार के फ्लैटस की 6 यूनिटों, डी प्रकार के फ्लैटस की 9 यूनिटों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति, सेनीटेशन का कार्य भी सम्मिलित था

जांच नं. 5 वर्ष 1995-96

<u>संविदाकार का नाम</u> मैसर्ज विम इन्जीनियरज एण्ड कान्ट्रेक्टरज

<u>कार्य अनुबन्ध संख्या</u> : 30 वर्ष 1995-96

उपरोक्त कार्य का आवंटन मैसर्स टिम इन्जीनियरज एण्ड कान्ट्रैक्टरज को पत्र संख्या :एचपीएनवी पी {डी-2} अकाउंटस 7/95-16-23 दिनांक 1.1.96 द्वारा 150.22% ओवर आल प्रीमियम पर किया गया। इस कार्य का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। कार्य के प्रथम चलत बिल से अंतिम चलत बिल तक किए गए भुगतानों की जांच पड़ताल की गई। जिसके दौरान संविदाकार को राशि मु. 76049.84 रु. का अधिक व अनुचित भुगतान किया गया इस राशि का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

क} प्रथम चलत बिल की मद संख्या 5/9{ए}{हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31{ए} की कुल मात्रा 27.16 घन मी. का भुगतान संविदाकार को 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तक संख्या 540 पेज 7 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टी जो मापन पुस्तक संख्या: 540 पेज 3 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.सी.सी. का कार्य आफसैट वाल की दो साईड जिसमें स्टैम भी सम्मिलित था 1.15 मी. चौड़ाई व हील साईड में आरसीसी का कार्य 1.65मी. चौड़ाई में किया गया इस प्रकार इस वाल की फाउन्डेशन में आरसीसी का कार्य कुल 2.80 मी. चौड़ाई में किया गया बताया गया था, जबकि इसी वाल की फाउन्डेशन में सी.सी. 1:6:12 का कार्य 2.70 मी. चौड़ाई में किया गया था{मापन पुस्तक सं. 540 पेज-2} अतः आरसीसी का कार्य जो सी.सी. 1:6:12 के ऊपर किया गया था की अधिकतम चौड़ाई 2.70 मी. हो सकती थी लेकिन वाल में आरसीसी का कार्य 2.80 मी. चौड़ाई में किया गया दिखाया गया है इस प्रकार आरसीसी का कार्य अधिकतम{फाउन्डेशन में} 2.70 मी. चौड़ाई में ही होना था, जिसके लिए संविदाकार को मात्रा 10.12 घन मी. का ही भुगतान देय बनता है। इस मात्रा का विवरण इस प्रकार से है :

$$12.50 \times 2.70 \times \frac{.35 + .25}{2} = 10.12 \text{ घन मी.}$$

इस देय मात्रा के विरूद्ध संविदाकार को 10.50 घन. मी. की मात्रा का भुगतान किया गया। अतः मात्रा 0.38 घन मी. {10.50-10.12} जिसकी राशि 722 रु.{.38 x1900 प्रतिघन मी.} बनती है का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक अदा की गई

राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

ख) दूसरे चलत बिल की मद संख्या 5/9 (बी) (दि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 (बी)) की कुल मात्रा 48.39 घनमी. का भुगतान 1900रु. प्रतिघन मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 29 पर किया गया था। इस मात्रा में 8.88 घन मी. मात्रा मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 16 से लाई गई थी इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि की जांच करने पर पाया गया कि 4.70मी. लम्बी आरसीसी वाल के स्टैम की (Bottom width) .55मी. ली गई थी लेकिन इस वाल की फाउण्डेशन में आरसीसी (स्टैम) में स्टैम की चौड़ाई (Bottom width) .50 मी. मापी गई थी। इस प्रकार वाल में आरसीसी की मात्रा की गणना करते समय स्टैम की (बॉटम विड्थ) .50मी. ही होनी चाहिए थी, जिसके आधार पर वाल में आरसीसी की मात्रा 8.24 घन मी. (4.70 x .20+.15/2 x 5.40मी.) बनती थी। इस मात्रा के विरुद्ध संविदाकार को 8.88घन मी. कार्य मात्रा का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को 1200.80रु. (8.88 घन मी - 8.248 घन मी x 1800 रु. प्रति घन मी.) का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए राशि 1200.80 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

ग) द्वितीय चलत बिल की मद संख्या 5/9 ए) (दि.पु.) मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 (ए) की मात्रा 96.15 घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से संविदाकार को मापन पुस्तक संख्या :540 पेज 29 द्वारा किया गया था। इसी मापन पुस्तक संख्या के पेज 18 से उपरोक्त मात्रा में 8.00 घन मी. की मात्रा सम्मिलित की गई थी। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि कालमों $ए_{11}$ व $ए_{12}$ में आरसीसी की कार्य मात्रा की गणना 2.95 मी. की ऊंचाई तक की गई थी जबकि मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 17 के अनुसार उपरोक्त कालमों में फार्म वर्क की गणना केवल 1.95 मी. की ऊंचाई तक ही किया गया था। इस प्रकार कालमों $ए_{11}$ व $ए_{12}$ में आरसीसी की गणना के लिए ऊंचाई केवल 1.95 मी. ही लेनी चाहिए थी जबकि ऊंचाई की गणना 2.95 मी. की गई है थी ।

अतः संविदाकार को वास्तव में कालम ए 11 व ए 12 के लिए आरसीसी 1:2:4 की मात्रा 0.748 घनमी. का भुगतान होना था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

ए 11 व ए 12 2×.40×.48×1.95 = 0.748 घन मी.

जबकि संविदाकार को उपरोक्त कालमों के लिए आरसीसी की कार्य मात्रा 1.13 घन मी. का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को 725.80 (1.13घनमी. – 0.748 घन मी.) ×1900रु. प्रति घन मी.) रु. का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक अदा की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ) द्वितीय चलत बिल की मद संख्या 5/9(बी) (दि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 सी) की कुल कार्य मात्रा 16.86घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या: 540 पेज 29 के द्वारा किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 23 पर दर्ज कार्य मात्रा 10.37 घन मी. सम्मिलित थी इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि लैण्डींग में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का मापन 1×2.23×4.10×.10 = .91 घन मी. के लिए किया गया था, जबकि इस लैण्डींग के लिए इस फार्म वर्क मापन पुस्तिका संख्या: 540 पेज 22 के अनुसार निम्न प्रकार से मापा व दर्ज किया गया था :

1 × 2.23 × 1.15

अतः लैण्डींग में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा का भुगतान 1×2.23×1.15×.10 = .256 घन मी. होना था जबकि संविदाकार को मात्रा 0.91 घन मी. का भुगतान किया गया इस प्रकार मात्रा 0.654 घन मी. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि 1242.60रु. (0.654 घन मी. × 1900 रु. प्रतिघन मी.) की वसूली सुनिश्चित किया जाए।

ङ.) तीसरे चलत बिल की मद संख्या 5/9(ए) (दि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31(ए) की कुल कार्य मात्रा 113.83 घन मी.

(610) 116

सरी का भुगतान 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 59 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 39 पर दर्ज 17.68 घन मी. की कार्य मात्रा सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 17.68 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि कालमों बी9 बी12 बी10 बी11 सी1 से सी15 तक सी फुटिंग में फार्म वर्क .15 मी. ऊंचाई तक किया गया जबकि आरसीसी 1:2:4 के कार्य का मापन व भुगतान कालमों बी9 बी12 में .25 मी. ऊंचाई, बी10 बी11 में .35 मी. ऊंचाई, सी1 से सी15 तक के लिए .20 मी. की ऊंचाई के लिए किया गया था। अतः इन कालमों की फुटिंग में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा 7.47 घमी. का वास्तविक मापन व भुगतान निम्न प्रकार से होना चाहिए था :-

बी9 बी12	2x2.00x2.00x .15	=1.20 घमी.
बी10 बी11	2x2.70x2.70x.15	= 2.19 "
सी2 से सी4	6x 1.40 x 1.40x.15	= 1.76 "
सी7 से सी 9 सी5 सी 6 सी14, सी 15	4x1.30x1.30x.15	= 0.43 "
सी11 से सी13	3x1.40x1.40x.15	= 0.88 "
		7.47 घन मी.

लेकिन उपरोक्त मात्रा के विरुद्ध मात्रा 12.56 घन मी. की मात्रा का भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार को राशि 9671 (12.56 घमी. - 7.47 घन मी. x1900 रु. प्रति घन मी.) रु. का अधिक भुगतान किया गया। अतः 9671 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

(च) तीसरे बिल की मद संख्या 4/3 (एफ) पि.पू. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 8.1 (आई) की कुल मात्रा 20.02 मी² का भुगतान 100 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 58 द्वारा किया गया था। इस मात्रा में उपरोक्त मापन पुस्तक संख्या

पैज 53 पर दर्ज कार्य मात्रा 5.56 वर्ग मी. भी सम्मिलित थी। मात्रा 5.56 वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य मात्रा बीमों (Beams) के कार्य से सम्बन्धित थी। अतः इस कार्य मात्रा का भुगतान बीमों में फार्म वर्क की दर से होना था लेकिन इस कार्य मात्रा को स्टेयर केस की कार्य मात्रा ~~वर्क की दर से किया~~ में जमा करने के बाद स्टेयर केस में फार्म वर्क की दर से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त मात्रा के लिए राशि 305.80 रू. (100= प्रति व.मी - 45 रू. प्रति व. मी.) x5.56 वर्ग मी.) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

छः) चौथे चलत बिल की मद संख्या: 13/33 (दि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.15) की कुल मात्रा 249.30 मीटर का भुगतान 138 रू. प्रति मी. की दर से मापन पुस्तक संख्या 540 पेज 86 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि दरवाजे डी एफ। में सेन्ट्रल होरीजेन्टल मुलियन को अन्य मेम्बरों की अपेक्षा 2 गुणा मापा गया था जबकि सेंट्रल मुलियन अन्य मेम्बरों की अपेक्षा वास्तव में 1.5 गुणा मापा जाना था। अतः भवन की धरातल मंजिल प्रथम मंजिल बेसमेंट की एक से तीन यूनिटों में कुल 30 दरवाजों के मापन में सेंट्रल मुलियन की मात्रा को 12.00मी. अधिक मापा गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

<u>बेसमेन्ट प्रथम यूनिट से तीसरी यूनिट तक</u>

6x(.88 + .88 + .88 + 2.50 +2.50) = 45.84 मी.

<u>वास्तव में मापन</u>

6x(.88 + (1.50 x .88) + 2.50 + 2.50)=43.20 मी.

अन्तर : 2.64 मी. ..(1)

धरातल मंजिल की प्रथम से तीसरी यूनिट तक

12(.78 + .78 + .78 + 2.50 + 2.50) = 88.08 मी.

वास्तव में मापन

12{·78 + {1·5 x ·78} + 2·50 + 2·50} = 83·40 मी·

अन्तर : 4·68 मी·

प्रथम मंजिल की प्रथम यूनिट से तीसरी यूनिट
{मापन पुस्तिका संख्या 540 पेज 93 }

12 x {·78 + ·78 + ·78 + 2·50 + 2·50} = 88·08 मी·

वास्तविक मापन

12{·78 + {1·5 x ·78} + 2·50 + 2·50 } 83·40 मी·

अन्तर 4·68 मी·

कुल अन्तर : 2·64 मी + 4·68मी· + 4·68 मी· =12·00मी·

इस प्रकार संविदाकार को राशि 1656 रु· {12 मी· x 138 रु· प्रति मी·} का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि 1656 रु· की वसूली तुरन्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जः} छठे चलत बिल की मद संख्या 5/9}ई} रि·पु· मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9·31}ई} की कुल कार्य मात्रा 4·60 घन मी· का भुगतान मापन पुस्तक संख्या 576 पेज 25 द्वारा 2400 रु· प्रतिघन मी· की दर से किया गया था। इस कार्य मात्रा में 0·67 घन मी· कार्य मात्रा को मापन पुस्तिका संख्या 539 पेज 70 से लाया गया था। कार्य मात्रा 0·67 घन मी· की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टेयर केस में पौड़ियों की कार्य मात्रा {आरसीसी} का मापन 3x·90x·25x·20 =0·14 घन मी· के लिए किया गया था जबकि पौड़ियों की मात्रा का आकलन वास्तव में निम्न प्रकार से होना था क्योंकि पौड़ियों का क्षेत्रफल समकोणिक त्रिभुज के क्षेत्रफल * के समरूप निकाला जाता है।

* $3 \times ·90 \times \frac{1}{2} \times ·25 \times ·20$ = ·07 घन मी·

इस प्रकार संविदाकार को स्टेयर केस में आर·सी·सी 1:2:4 पक्की मात्रा 0·07 घन मी· अधिक का मापन व भुगतान किया गया।

अतः राशि 168 रु. की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) छठे चलत बिल की मद संख्या: 5/9(ए) पि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31(ए) की कुल कार्य मात्रा 131.64 घन मी. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 576 पेज 24 द्वारा दर 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से संविदाकार को किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तक संख्या 539 पेज 76 से 7.40 घन मी. की मात्रा भी सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 7.40 घन मी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि आफ सैट वाल में सी.सी. 1:2:4 की मात्रा का आकलन करते समय दीवार की चौड़ाई 3.15 मी. दर्शाई गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

स्टैम की चौड़ाई	.55 मी.
हील चौड़ाई	0.90 मी.
टो "	1.70 मी.
	3.15 मी.

लेकिन इस दीवार में 1:6:12 की कार्य मात्रा का आकलन करते समय दीवार की चौड़ाई का मापन 2.95 मी. रिकार्ड किया गया था। इस प्रकार दीवार की फाउण्डेशन व फुटिंग में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा का आकलन करते समय दीवार की अधिकतम चौड़ाई 2.95 मी. से ज्यादा दर्ज नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार यदि हील व टो की चौड़ाई को सही माना जाए तो स्टैम की चौड़ाई दीवार के फाउण्डेशन व फुटिंग में केवल 0.35 मी. बनती थी जबकि स्टैम में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा का आकलन करते समय स्टैम की चौड़ाई का माप 0.55 मी. रिकार्ड किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को स्टैम में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा 1.43 घनमी. का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में यह कार्य मात्रा 0.91 घनमी. बनती थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :

4.00 x 0.35 x 0.65 = 0.91 घन मी.

अतः संविदाकार को 988 {1.43 घनमी. - 0.91 घनमी. x 1900 रु. प्रति घनमी.} रु. का अधिक भुगतान किया गया ।

इसी प्रकार निम्न प्रकरणों में भी दीवारों की फुटिंग व फाउण्डेशन {स्टैम} में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का अधिक मापन व भुगतान किया गया । जिसका विवरण इस प्रकार से था :-

1} मापन पुस्तक सं. 539 पेज 81 पर दर्ज कार्य मात्रा 6.16 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 4.80मी. लम्बी आरसीसी दीवार में स्टैम की चौड़ाई .55 मी. मापी गई थी । जबकि इस दीवार की फाउण्डेशन में डाली गई 1:6:12 के आधार पर स्टैम की चौड़ाई केवल .35 मी. बनती थी {सीसी 1:6:12 की चौड़ाई आरसीसी 1:2:4 में हील व टो की चौड़ाई} इस प्रकार दीवार के स्टैम में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा वास्तव में 0,76घन मी. {4.80 x .35 x .45} बनती थी जबकि संविदाकार को कार्य मात्रा 1.19 घन मी. का भुगतान व मापन किया गया। अतः संविदाकार को कार्य मात्रा 0.43 घन मी. {1.19 घनमी. - 0.76 घनमी.} का अधिक भुगतान किया गया जिसकी राशि 817रु. बनती थी ।

2} मापन पुस्तक संख्या 539 पेज 91 पर दर्ज दीवार की फाउण्डेशन फुटिंग में आरसीसी की कार्य मात्रा 3.59घनमी. की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 2.50 मी. लम्बी दीवार की फाउण्डेशन में स्टैम के लिए आरसीसी 1:2:4 की गणना में चौड़ाई .55 मी. दर्शाई गई थी जबकि दीवार की फाउण्डेशन में डाली गई सीसी 1:6:12 की चौड़ाई 2.95 मी. दर्ज की गई थी इस प्रकार आरसीसी 1:2:4 के लिए दीवार की अधिकतम चौड़ाई 2.95 मी. से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन दीवार की फाउण्डेशन में आरसीसी 1:2:4 की मात्रा की गणना में दीवार की चौड़ाई 3.15 मी. दर्ज की गई थी यदि दीवार की फाउण्डेशन में हील व टो की चौड़ाई को सही माना जाए तो स्टैम की चौड़ाई .55 मी. के स्थान पर .35 मी. ही बनती थी। अतः दीवार के स्टैम के लिए आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा की गणना में स्टैम की चौड़ाई .35 मी. लेने से कार्य मात्रा 0.48 घन मी. बनती थी, जिसका

विवरण निम्न प्रकार से था :-

2.50मी. x .35 मी. x .55 मी. = 0.48 घन मी.

लेकिन संविदाकार को दीवार की स्टैम (फाउन्डेशन) में कार्य मात्रा 0.75 घन मी. की मात्रा का भुगतान किया गया जोकि 0.27 (0.75 घन मी - 0.48 घन मी.) अधिक था। इस प्रकार उपरोक्त कुल अधिक वर्णित मात्रा 0.52 घनमी. + 0.43 घन मी. + 0.27 घन मी. = 1.22 घन मी. का संविदाकार को दर 1900 रु. प्रति घन मी. की दर से भुगतान किया गया जिसकी राशि 2318 रु. बनती थी। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

(आठवें चलत बिल की मद संख्या 5/9(सी) हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31(बी) की कुल कार्य मात्रा 85.96 घन मी. का भुगतान 1900 रु. प्रतिघन मी. की दर से मापन पुस्तिका सं. 594 पेज 5 द्वारा संविदाकार को किया गया। इस मार्य मात्रा में निम्न विवरणानुसार कार्य मात्राओं को सम्मिलित किया गया था :-

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ संख्या	कार्य मात्रा
576	24	10.20 घन मी.
539	81	12.24 घन मी.
539	91	6.39 घन मी.

मापन पुस्तिका संख्या: 576 पृष्ठ 24 पर दर्ज कार्य मात्रा 10.20 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि 1:2:4 में लगाई गई आरसीसी दीवार के स्टैम के बोटम की चौड़ाई 0.65मी. मापी व दर्ज की गई थी जबकि उपरोक्त पेरा ख के अनुसार 4 मी.लम्बी व 6 मी. ऊंची दीवार के स्टैम के बोटम की चौड़ाई 0.35मी. होनी चाहिए थी। इस प्रकार आरसीसी 1:2:4 की इस दीवार में कुल कार्य मात्रा 6.60 घन मी ($4.00 \times \frac{.35 + .20}{2} \times 6.00$) होनी चाहिए थी लेकिन इस दीवार में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा 10.20 घन मी. का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को कार्य मात्रा 3.60 घनमी. कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया।

मापन पुस्तक संख्या 539 पेज 81 पर दर्ज कार्य मात्रा 12.24 घन मी.

की रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि 4•80मी• लम्बी व 6•00 मी• ऊंची दीवार के स्टेम के बोटम की चौड़ाई 0•65 मी•मापी गई थी जबकि उपरोक्त पैरा ग§1§ के अनुसार दीवार के स्टेम के बोटम की चौड़ाई 0•35 मी• बनती थी। इस प्रकार दीवार में आरसीसी 1:2:4 का कुल कार्य मात्रा 7•92 घन मी•§4•80 मी• x0•35+0•20 / 2 x 6•00 मी§ बनती थी लेकिन उपरोक्त दीवार में आरसीसी 1:2:4 की कुल कार्य मात्रा 12•24 घन मी• का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को 4•32 घन मी• की कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया। मापन पुस्तिका 539 पृष्ठ 91 पर दर्ज कार्य मात्रा करने पर पाया गया कि 2•50 मी• लम्बी व 6 मी• ऊंची दीवार के स्टेम के बौटम की चौड़ाई का माप 0•65 मी• लिया गया था जबकि उपरोक्त पैरा अ§2§ के अनुसार इस दीवार के स्टेम के बोटम की वास्तविक चौड़ाई 0•35 मी बनती थी। अतः इस दीवार में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का मापन 4•12 घन मी• §2•50 मी•x 0•35 + 0•20 / 2 x6•00मी• होना चाहिए था लेकिन इस दीवार के लिए संविदाकार को 6•38 घनमी• की कार्य मात्रा का मापन व भुगतान किया गया जो कि 2•26 घन मी• अधिक था। इस प्रकार उपरोक्त दीवारों में कुल 10•18 घन मी•§3•60 घन मी• + 4•32 घन मी• + 2•26 घनमी•§ की कार्य मात्रा का 1900 रु• प्रति घन मी• की दर से राशि 19342 रु• का अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक अदा की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ट§ दसवें चालू बिल की मद संख्या 7§एक्स्ट्रा§ पि•प्र• मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11•33§ की कुल मात्रा 188•54 घन मी• का भुगतान दर 271•35 रु• प्रतिघन मी• से संविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या 594 पेज 5 द्वारा किया गया उपरोक्त मद की दर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12§3§ के अनुसार स्वीकृत की गई थी जबकि इस अतिरिक्त मद की दर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12§2§ के तहत निर्धारित होनी थी क्योंकि संविदाकार द्वारा कार्य अनुबन्ध में सलग्न डीएनआईटी की मद संख्या 14 के लिए अपनी दर 50 रु• भरी थी।

कार्य अनुबन्ध की (डीएनआईटी) की मद संख्या 14 द्वारा वर्णित कार्य, बिल की मद संख्या 7/एकादा (पि.पृ. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.33) द्वारा वर्णित कार्य से मिलता जुलता था अतः इस मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(2) के अनुसार 66.10 रु. प्रतिघन मी. निम्न विवरणानुसार होना था :-

पि.पृ. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या	मानक दर	संविदाकार की दर	कार्य अनुबन्ध(डीएनआईटी) मद संख्या
21.10	82.05 ((91-15)(9-10))	50.00	14

प्रतिशतता $\frac{50-82.05}{82.05} \times 100$ = (-) 39.06%

बिल की मद संख्या : 7/एकादा (पि.पृ. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.33) की मानक दर 108.45 रु.

+ संविदाकार का Similar Class की प्रतिशतता (-) 39.06% (-) 42.36 रु.

66.09 रु.

या 66.10 रु. प्रतिघन मी.

इसलिए संविदाकार को उपरोक्त बिल की मद संख्या 7/एकादा के लिए अधिक दर का भुगतान किया गया, जिससे संविदाकार को कुल राशि 38697.84 रु.(271.35 - 66.10)x188.54 घन मी.) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पेरा :32 पि.पृ. नगर विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल नं. 2 के भिन्न-2 कार्यों के लिए भण्डार से जारी सीमेन्ट बैगों की खपत से प्राप्त होने वाले खाली सीमेन्ट बैगों को संविदाकारों द्वारा वापिस न किए जाने पर उनके कार्य बिलों से राशि 52647 रु. की वसूली न करना।

रा.प्र. नगर विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल नं.2 के [illegible] की लेखाओं माह 6/96 व 3/97 के भिन्न-2 कार्यों बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन कार्यों के लिए भण्डार से जारी सीमेन्ट बैगों की जप्त प्राप्त होने वाले खाली सीमेंट बैगों को कार्य अनुबन्ध की जनरल स्पेसीफिकेशन एण्ड कन्डीशन्स की नं. 4.8 के अनुसार नगर विकास प्राधिकरण को वापिस करना था लेकिन भिन्न-2 कार्यों जिनका पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। पर कुल 58497 बोरों की जप्त की गई। शर्त नं. 48 के अनुसार जप्त किए गए सीमेन्ट बोरों के 90%भाग को संविदाकारों द्वारा प्राधिकरण को वापिस लौटाना था। अंकेक्षण के दौरान कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जप्त किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेंट बोरों की प्राप्ति के सत्यापन किया जा सके। विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार यदि कोई संविदाकार उपरोक्त शर्त के अनुसार कुल जप्त किए गए सीमेंट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेंट बोरियों को विभाग को वापिस नहीं लौटाता तो उस संविदाकार के कार्य बिल की देय राशि में से जप्त किए गए सीमेंट बोरों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेंट बोरियों की कीमत एक रुपये प्रति खाली बोरी की दर से वसूली की जाती है। लेकिन परिशिष्ट में वर्णित कार्य के लिए जारी/जप्त की गई 58497 सीमेंट की बोरियों से, विभाग को प्राप्त होनी वाली 90% खाली बोरियों की, कीमत उपरोक्त प्रचलित प्रथा के अनुसार एक रु. प्रति बोरी की दर से वसूल नहीं की गई थी और न ही विभाग द्वारा खाली बोरियों की प्राप्ति की गई थी। अतः कुल राशि 52647 रु. की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में कार्य अनुबन्ध की समस्त शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों की जांच प्राधिकरण अपने स्तर पर करने के बाद वसूली योग्य राशि यदि कोई हो तो वसूल करने हेतु कार्यवाही अमल में लाए तथा यह प्रमाणित करें कि उन्होंने यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

125 (619)

पैरा :33

हि॰प्र॰ नगर विकास प्राधिकरण की गाड़ियों के लिए क्रय किए गए पैट्रोल व मोबिल आयल को गाड़ी की लॉगबुक में दर्ज न करने के फलस्वरूप 24993.08 रु॰ के मूल्य के पैट्रोल और मोबाइल आयल का दुरूपयोग ।

क॑ वाउचर संख्या 23 माह 6/96 राशि 4393 रु॰

इस वाउचर के द्वारा गाड़ी संख्या एचपी-52/0075 के लिए मास 5/96 के दौरान क्रय किए पैट्रोल तथा मोबाइलआयल के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित बिलों द्वारा क्रय किए गए पैट्रोल व मोबाइलआयल को सम्बन्धित गाड़ी की लागबुक में दर्ज नहीं किया गया था :

बिल सं॰	दिनांक	विवरण	राशि (रु॰)
19115	4.5.96	पैट्रोल 45 लि॰ 16.90 रु॰ प्रति लि॰	760.50
		मोबाईल आयल 1 लि॰ 65 रु॰	65.00
		कुल	826.00
546	23.5.96	पैट्रोल 52 लि॰ 16.90 रु॰ प्रति लि॰	879.00
		कुल	1705.00

इसलिए राशि रु॰ 1705 के पैट्रोल तथा मोबाइल आयल की सम्बन्धित लागबुक में दर्ज न करने से इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः लागबुक में पैट्रोल की प्रविष्टियों को न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए दोषी कर्मचारी से 1705 रु॰ की वसूली करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार माह 2/96 से 2/97 के दौरान उपरोक्त गाड़ी की लागबुक का निरीक्षण करने पर 1366 लीटर पैट्रोल के दुरूपयोग का मामला सामने आया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार था :-

माह	अथ शेष	प्राप्ति (लि॰)	कुल	खपत	शेष	प्रभारी द्वारा सत्यापित पेट्रोल की शेष मात्रा	अन्तर (लि॰)
2/96	-	212	212	116	96	16	80
3/96	16	178	194	63	131	131	-
4/96	131	174	305	77	228	50	178
5/96	50	267	317	163	154	53	101
6/96	53	229	282	175	107	45	62
7/96	45	252	297	116	131	55	76
8/96	55	150	205	59	146	55	91
9/96	55	428	483	155	328	5	323
10/96	5	310	315	119	196	42	154
11/96	42	141	183	83	100	10	90
12/96	10	230	240	127	113	8	105
1/97	8	195	203	119	84	9	75
2/97	9	108	117	71	46	15	31

अतः इस मामले की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त राशि रू॰ 23085.40 (1366x16.90) की वसूली दोषी कर्मचारी व अधिकारी से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ज) <u>वाउचर संख्या 88, दिनांक 27.6.96 राशि रू॰ 70928</u>

इस वाउचर के द्वारा गाड़ी सं॰ एचआईएल-2673 के लिए क्रय किए गए पेट्रोल के बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल संख्या 3444 दिनांक 30.4.96 राशि रू॰ 202.68 के॰ क्रय किया गया 12 लि॰ पेट्रोल रू॰ 16.89 की दर से क्रय किया गया था, जिसको सम्बन्धित गाड़ी की लागबुक में दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए राशि रू॰ 202.68 के पेट्रोल को सम्बन्धित लागबुक में दर्ज न करने से इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः

लागबुक में पेट्रोल की प्रविष्टियां को न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए दोषी कर्मचारी से रु॰ 202•68 की वसूली करना सुनिश्चित करें।

पैरा:34 कार्य का नाम : बी•सी•एस• के नीचे आवासीय बस्ती फेस-III का निर्माण [एस•एच•ई•डब्लू•एस फ्लैट 16 नं• बी श्रेणी के फ्लैटस 24 नं• ए श्रेणी के मकान 3 नं•, डी श्रेणी के मकान 4 नं• का निर्माण जिसके आन्तरिक जल आपूर्ति व सेनीटेशन का कार्य भी सम्मिलित था]

जॉब नं• ।

कार्य अनुबन्ध संख्या: 7, वर्ष 1991-92

संविदाकार का नाम श्री एस•एल• गुप्ता

वाउचर संख्या 21 माह 6/96 राशि 1351 रु•

इस वाउचर द्वारा संविदाकार श्री एस•एल• गुप्ता को उपरोक्त कार्य के 21वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए 1351 रु• का भुगतान किया गया। इस बिल/वाउचर का अंकेक्षण करने पर 23174•72 रु• की कम वसूली/अधिक भुगतान के मामलों का पता चला इस राशि का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से था :

[क] मापन पुस्तक संख्या 466 पेज 5 द्वारा कार्य स्थल पर प्राप्त 30•54 घन मी• पत्थरों की वसूली संविदाकार से 60 रु• प्रति घनमी• की दर से की गई थी। इन पत्थरों का प्रयोग बिल संख्या 15/17 व 16/18 द्वारा वर्णित कार्य के लिए किया गया था। हि•प्र• मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11•5 द्वारा वर्णित कार्य जिसमें उपरोक्त पत्थरों का प्रयोग किया गया था के Analysis के अनुसार 1 घन मी• पत्थर की वसूली दर निम्न प्रकार से बनती थी।

1]	1 घन मी• पत्थरों की कीमत	44•00
2]	यू एण्ड जोण्ड स्टोन	11•90
3]	पत्थरों की ढुलाई	36•01
	योग:	91•91
+	ठेकेदार का लाभ 10%[91-91-36•01]	5•59
	मूल दर[1987 की दर सूची पर आधारित]	97•50

622

128

{4} किल की मद संख्या 16/18{ R.R. Messonary in c.m. 1:6 in breast/retaining wall

पर संविदाकार द्वारा भुगतान किया गया प्रिमियम जो कि

77.99%

{550-309} x100 / 309 — 76.04

अतः वसूली दर प्रति घन मी. — 173.54

या 173.55 रु.

इस प्रकार संविदाकार से 30.54 घन मी. पत्थरों की वसूली 173.55 रु. प्रतिघन मी. की दर से होनी चाहिए थी जबकि वसूली 60 रु. प्रति घनमी. की दर से की गई। अतः पत्थरों की वसूली (34.67 =82रु.) {173.55 -60 रु.} x30.54 घन मी.} कम की गई। कम वसूल की गई राशि को तुरन्त वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

3467=82.5

{5} किल की मद संख्या 78/ई.आई.{ लि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 17.176{ द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 2056.59 वर्ग मी. का भुगतान 21.67 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से मापन पुस्तिका सं.466 पेज 40 द्वारा किया गया। इस कार्य मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12{2} के अनुसार किया गया था जबकि वास्तव में इस मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12{3} के अनुसार निम्न प्रकार से होना था :-

लि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं. 17.176 की मानक दर	6.70 प्रति मी^{2}
+ संविदाकार का लोवर वाल प्रिमियम 82.32%	5.51
योग :	12.21 रु.

या 12.20 रु.

इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त मद की दर 12.20 रु. प्रति मी^{2} की जाए पर 21.67 रु. प्रति मी^{2} से भुगतान किया गया जो कि 9.47 रु. प्रति मी2 अधिक था। अतः संविदाकार को 19475.90{21.67 रु.- 12.20 रु.} x2056.59 मी^{2} {रु. का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना

सुनिश्चित किया जाए।

ग) कार्य के अन्तिम बिल तक संविदाकार को 138.528 मी॰ टन स्टील जारी की गई थी। इस स्टील में से निम्न विवरणानुसार केवल 2.1मी॰टन स्टील दूसरे कार्यों के लिए स्थानान्तरित की गई। इस प्रकार संविदाकार से कुल स्टील 136.428 मी॰ टन की वसूली होनी अपेक्षित थी। जबकि वास्तव में मापन पुस्तक सं॰ 466 पेज 48 द्वारा केवल 136.406 मी॰ टन स्टील की वसूली 10500 रु॰ प्रति मी॰ टन से की गई जोकि .022 मी॰टन से कम थी। अतः कम वसूल की गई राशि 231 रु॰ की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 35 कार्य का नाम : वीसीएस के नीचे आवासीय बस्ती फेस 2 का निर्माण (एलएच बी श्रेणी के 23 नं॰ डी श्रेणी के 8 नं॰, सी श्रेणी के 24 नं॰ फ्लैटों, ए श्रेणी के 4 नं॰, बी श्रेणी के 4 नं॰ फ्लैटों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन का कार्य भी सम्मिलित था

संविदाकार का नाम मै॰ कपिल कन्सट्रक्शन

कार्य अनुबन्ध संख्या: 21 वर्ष 1996-97
वाउचर संख्या 72 माह 3/97 राशि 538090 रु॰

इस वाउचर द्वारा संविदाकार को उपरोक्त कार्य के चौथे चालू बिल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान किया गया। इस वाउचर का परीक्षण करने पर 19754.75रु॰ का अधिक भुगतान प्रकाश में आया :-

क) बिल की मद संख्या 15/33(1) हि॰प्र॰ मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 17.46(4) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1825.04मी^{2} का भुगतान 40 रु॰ प्रति वर्ग मी॰ की दर से मापन पुस्तिका संख्या 575 पेज 38 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 78 पर दर्ज कार्य मात्रा 21.75 वर्ग मी॰ को भी सम्मिलित किया गया था। 21.75 वर्गमी॰ की कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य ब्लाक नं॰ 45 की प्रथम तल से तीसरे तल तक की बालकोनियों के लिए निम्न प्रकार मापा गया थाः

3x2x1.45x2.50मी॰ = 21.75 वर्ग मी॰

लेकिन उपरोक्त कुल कार्य मात्रा 1825.04 वर्ग मी. में मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 69 से 1607.58 वर्ग मी. की कार्य मात्रा को भी सम्मिलित किया गया था। कार्य मात्रा 1607.58 वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि यह कार्य ब्लाक नं. 45 के तल से तीसरे तल तक मापा गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :

मापन पुस्तिका सं. 587 पेज 67 के अनुसार ब्लाक नं. 45 के धरातल तल की प्रथम यूनिट की कार्य मात्रा	205.30 वर्गमी.
धरातल तल की दूसरी यूनिट	205.30 "
धरातल तल की कुल कार्यमात्रा	410.30 "
इसी प्रकार प्रथम, दूसरे, तीसरे तल की कुल कार्य मात्रा	1230.90 "
योग :	1641.20 "
(-) कार्य मात्रा जिसका पहले भुगतान कर दिया गया था (-)	33.62 "
भुगतान योग्य कार्यमात्रा	1607.58

मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 67 पर दर्ज कार्य मात्रा 205.30 वर्ग मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों में उपरोक्त कार्य बालकोनियों में भी किया गया बताया गया था, जिसका माप निम्न प्रकार से लिखा गया था।

1x2x1.45x2.50 मी. = 7.50 वर्ग मी.

इस प्रकार बालकोनियों में कार्य की मात्रा को दो बार मापा व भुगतान किया गया (एक बार मापन पुस्तक सं. 587 पेज 78 व दूसरी बार कार्य की कुल मात्रा 1607.58 वर्ग मी.) में। अतः संविदाकार को राशि 870 रु. का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक भुगतान की गई राशि 870 रु. की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) बिल की मद संख्या 17/एस.आई. (दि.प्र. मानक दर अनुसूची 1990 भाग-2 की मद संख्या 9.2 (ए) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1222 मी. का भुगतान 66/- रु. प्रति मी. की दर से मापन पुस्तिका सं. 575 पेज 3-8 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका का सं. 587 पेज 47 पर दर्ज कार्य मात्रा 665.60 मी. सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 665.60 मी. की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया

गया कि 4x6•10 मी• का गुणनफल 26•40 मी• लिखा व योग में लिया गया था जबकि वास्तव में 4x6•10 मी• का गुणनफल 24•40मी• बनता था। इस प्रकार 2 मी• कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया जिसकी राशि 132 रू•{2मी• x •66 रू• प्रतिमी•} बनती थी। इस लिए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए

ग} बिल की. मद संख्या 13/28} दि•पु• मानक दर अनुसूची की मद संख्या 15•16}डी}3} द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 121•63 वर्ग मी का भुगतान दर 675 रू• प्रतिवर्ग मी• की दर से मापन पुस्तिका सं• 575 पेज 37 द्वारा किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों जो कि मापन पुस्तिका सं• 587 पेज 23 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि खिड़की में कार्य की मात्रा गणना के लिए माप 2x0•90x1•05 मी• =1•89 वर्ग मी• लिया गया था जबकि इसी प्रकार की खिड़की को उपरोक्त कार्य की मात्रा गणना के लिए मापन पुस्तिका सं 459 पेज 66 के अनुसार{2x•45x1•05 = 0•945वर्गमी•} मापा गया। इस प्रकार खिड़की में कार्य मापन 0•945 वर्ग मी• से अधिक किया गया। चौदह क्वार्टर तक उब्लू 3 आकार की 26 खिड़कियों को लगाया व मापा गया था जिसमें कार्य मात्रा 24•57 वर्गमी• {26नं• x0•945 वर्ग मी•} का अधिक मापन व भुगतान किया गया इसलिए अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा की 16584•75 रू• {24•57 वर्ग मी• x •675 रू• प्रति वर्ग मी•} की राशि कीवसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

घ} बिल की मद संख्या 31/9 दि•पु• मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 10•4}घ} द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 491•52 वर्ग मी• का भुगतान दर 200 रू• प्रति वर्ग मी• की दर से मापन पुस्तिका संख्या 575 पेज 44 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा में मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 73 पर दर्ज कार्य मात्रा 258•09 वर्ग मी• भी सम्मिलित थी। कार्य मात्रा 258•09 वर्ग मी• की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि ब्लाक नं• 44 की धरातल मंजिल व प्रथम मंजिल दोनों की पार-पार यूनिटों के लिए कुल कार्य मात्रा 886•42 वर्ग मी• में से गलत भुगतान की गई कार्य मात्रा 681•39 मी^{2} को घटाया

गया जबकि चौथे बिल से पहले बिलों में उपरोक्त कार्य की कुल मात्रा 691.74 वर्ग मी. का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

मापन पुस्तक संख्या	पेज	कार्य मात्रा
459	70	100.18 मी2
	71	106.64 "
	72	92.01 "
	73	62.62 "
	74	98.06 "
	75	96.86 "
	76	70.31 "
	77	65.06 "
	योग :	691.74 मी2

इस प्रकार कुल कार्य मात्रा 886.42 वर्ग मी. में से पहले भुगतान की गई वास्तविक कार्य मात्रा 691.74 वर्ग मी. को घटाने से वास्तव में भुगतान योग्य कार्य मात्रा 194.68 वर्ग मी. बनती थी लेकिन इस कार्य मात्रा के विरुद्ध 205.03 वर्ग मी. [886.42-681.39] कार्य मात्रा का भुगतान किया गया जो कि 10.35 वर्ग मी. अधिक थी। मापन पुस्तिका संख्या 587 पेज 76 से कार्य मात्रा का वास्तविक योग 170.44 वर्ग मी. बनता था जबकि 170.93 वर्ग मी. कार्य मात्रा को आगे लाया गया जो कि 0.49 वर्ग मी. अधिक थी। इस प्रकार संविदाकार को कुल कार्य मात्रा 10.84 वर्ग मी. दर 200 रु. प्रतिवर्ग मी. की दर से 2168 रु. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करें

पेरा 36 माह 6/96 के दौरान भुगतान किए गए कार्य बिलों से काटी गई विक्रय कर की राशि में से 10000 रु. की राशि को आबकारी एवं कराधान विभाग में कम जमा करवाना ।

माह 6/96 के दौरान कार्य बिलों से काटी गई विक्रय कर की राशि वाउचर संख्या 93 माह 9/96 द्वारा आबकारी एवं कराधान

द्वारा विहित लेखा शीर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जमा करवाई गई। इस वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माह 6/96 के लिए विक्रय कर की राशि 39149 रू० ली गई थी जबकि वास्तव में 6/96 के दौरान भुगतान किए गए संविदाकारों के कार्य बिलों में से मु० 49149 रू० बतौर विक्रय कर के कारण वसूल की गई थी । इस प्रकार माह 6/96 के दौरान विक्रय कर की वास्तविक वसूल की गई राशि में से 10000 रू० की राशि को आबकारी एवं कराधान विभाग के लेखा शीर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कम जमा करवाया गया। अतः कम जमा करवाई गई राशि को अब जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए ।

पेरा :37

कार्य का नाम : वीसीपुर के नीचे आवासीय बस्ती फेज-2 का निर्माण (बी श्रेणी के फ्लैटों के 4 यूनिटों, सी श्रेणी 12 यूनिटों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन इन्स्टालेशन, साईट डेवलपमेंट इत्यादि सम्मिलित था

संविदाकार का नाम : श्री अजय अग्रवाल

कार्य अनुबन्ध संख्या : 14, वर्ष 1995-96

वाउचर संख्या 61 माह 6/96 राशि 264822 रू०

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 8वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान संविदाकार श्री अजय अग्रवाल को किया गया। इस कार्य बिल का अंकेक्षण करने पर 9342 रू० के अधिक/अनुचित भुगतान का मामला प्रकाश में आया जिस का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से था: (i) 8वें चलत बिल की मद संख्या 5/8 (पृ) सि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.3 (पृ) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 209.21 घन मी० का भुगतान माप पुस्तिका संख्या 483 पेज 80 द्वारा 1800 रू० प्रतिघन मी० की दर से किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कालमों के टेपर्ड पोरशन में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा का आंकलन करते समय सूत्र, कालम के टेपर्ड पोरशन का धरातल क्षेत्रफल + कालम के टेपर्ड पोरशन के ऊपरी तल का क्षेत्रफल भाग 2 गुणा टेपर्ड पोरशन की ऊंचाई

628 134

($\frac{ए_1 + ए_2}{2}$ × एच) का प्रयोग किया गया था, जबकि वास्तव में कालमों के टेपर्ड पोरशान की कार्य मात्रा की गणना में सूत्र ~~डी/3~~

$\frac{डी}{3}$ (ए$_1$ + ए$_2$ + ए$_1$ × ए$_2$) का प्रयोग होना था। इस प्रकार कालमों के टेपर्ड पोरशान में आरसीसी 1:2:4 की कार्य मात्रा 5.19 घन मी. का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था:-

माप पुस्तक संख्या	पेज	कालम संख्या	ए1 मी²	ए2 मी²	डी मी.	देय मात्रा घन मी.	दत्त मात्रा घन मी.	अन्तर घन मी.
483	46	ए$_1$	3.06मी²	0.19	.25	0.33	0.41	0.08
		ए$_2$ से ए$_7$	4.20मी²	0.19	.25	2.64	3.29	0.65
	67	वी$_1$	3.24मी²	0.19	.45	0.63	0.78	0.15
		वी$_2$ से वी$_6$	4.20मी²	0.19	.45	3.96	4.94	0.98
		ए$_2$ से ए$_7$	4.20मी²	0.19	.45	4.75	5.93	1.18
		ए$_8$	3.06	0.19	.45	0.60	0.73	0.13
484	21	वी$_7$	4.20	0.19	.45	.79	.99	0.20
		वी$_8$	3.24	0.19	.45	.63	.78	0.15
		वी$_1$ से वी$_8$	3.24	0.19	.45	1.26	1.56	0.30
		वी$_2$ से वी$_7$	4.20	0.19	.45	4.75	5.93	1.18
		सी$_1$	1.20	0.19	.30	0.19	0.21	0.02
		सी$_2$ से सी$_5$	1.82	0.19	.30	1.04	1.21	.17
		योग:				21.57	26.76	5.19

इस प्रकार संविदाकार को गलत सूत्र का प्रयोग करने से राशि 9342 रु. (5.19 घन मी. ×1800 रु. प्रतिघन मी.) का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 38 विक्रय कर की वसूल की गई राशि में से मु॰ 5920 रु॰ की राशि का अनुचित प्रत्यार्पण (Refund) करना ।

वाउचर संख्या 63 माह 6/96 द्वारा 13631 रु॰ की राशि का भुगतान किया गया। इस राशि में अनिरुद्ध गुप्ता को मु॰ 5920 रु॰ के विक्रय कर का प्रत्यर्पण किया गया था जो कि अनुचित था क्योंकि आहरण एवं वितरण अधिकारी केवल सरकारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य बिल के भुगतान के समय 2% विक्रय कर की वसूली करने के लिए अधिकृत है न कि वसूल किए गए विक्रय कर के प्रत्यार्पण के लिए अगर किसी अवस्था में 2% विक्रय कर की वसूली अधिक हो जाती है तो संविदाकार उस राशि का रिफण्ड आबकारी एवं कराधान विभाग से नियमानुसार प्राप्त कर सकता था। अतः सरकारी निर्देशों के उल्लंघन करने के कारणों को सूचित करते हुए रिफण्ड की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 39 कार्य का नाम : बीबीएम के नीचे आवासीय बस्ती का निर्माण (एस॰एच फेज-1 के सैक्टर-2 की लैन नं॰1 के ऊपर पार्किंग व दुकानों का निर्माण ।

संविदाकार का नाम श्री एम के मिगलानी

कार्य अनुबन्ध संख्या : 28 वर्ष 1996-97

वाउचर संख्या 26 माह 3/97 राशि 167894 रु॰

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के पहले चालू बिल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान संविदाकार श्री एम॰के मिगलानी को किया गया। इस वाउचर का निरीक्षण करने पर राशि 5694.25 रु॰ के अधिक भुगतान व कम वसूली के निम्न मामले प्रकाश में आए :

(1) बिल की मद संख्या 11/13 (दि॰पु॰ मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 20.5 (3) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा .75 घन मी॰ का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 537 पेज 72 द्वारा 1200 रु॰ प्रति घन मी॰ की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका संख्या 533 पेज 34 पर दर्ज किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

(6.30)

136

7•30 x0•60मी• x0•15मी• =0•66 घन मी•

•70 x 0•90 x 0•15 मी• =0•09 "

0•75 "

रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर स्वतः ही पता चलता है कि अन रिइन्फोर्सड सीसी की डेमोलिशन का कार्य 0•15 मी• या 15 से•मी• मोटाई में किया गया था जबकि बिल द्वारा इस कार्य के लिए अनुबन्ध की मद संख्या 13 द्वारा अनुबन्धित दर 1200 रु• प्रतिघन मी• से भुगतान किया गया अनुबन्ध की मद संख्या 13 द्वारा वर्णित कार्य (Demolition of unreinforced CC above 15 cm thick) वास्तव में करवाए गए कार्य से भिन्न था। अतः उपरोक्त मद की दर का निर्धारण अतिरिक्त मद के आधार पर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(2) के अनुसार निम्न प्रकार से निर्धारित होना था :

वास्तव में करवाए गए कार्य (दि•प्र•मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 20•5(3) द्वारा वर्णित मानक दर	54•75 रु•
+ समरूप श्रेणी के कार्य(कार्य अनुबन्ध की मद सं• 13 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं• 20•5(3) के लिए संविदाकार का प्रीमियम 940•62%	514•98 रु•
योग :	569•73 रु•

अतः संविदाकार को उपरोक्त कार्य के लिए 630•27 (1200 -569•73) रु• प्रतिघन मी• की दर से अधिक भुगतान किया गया अधिक भुगतान की गई राशि 472•70 रु• (•75 घन मी• x630•27रु• प्रतिघन मी•) की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) बिल की मद संख्या 15/ई•आई•(दि•प्र• मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 10•1(1)+10•2(घ) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 15•44 मी3 का भुगतान संविदाकार को दर 1884•30 रु•प्रतिघनमी की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों को माप पुस्तक संख्या 533 पेज 39 पर दर्ज किया गया था। इस मद की दर का

निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(2) के अनुसार होना था जो कि निम्न प्रकार से है :

अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य के समरूप श्रेणी के अनुबन्धित कार्य (डि.मू. मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं. 10.4(सी)+10.5 कूप वायरन सहित) की प्रतिशतता:

अनुबन्धित कार्य की मानक दर 1987	अनुबन्धित दर	अनुबन्ध मद संख्या
62.55 रु.	250 - 5% छूट=237.50 रु.	4

प्रतिशतता $\frac{237.50 - 62.55}{62.55} \times 100$ = 279.69 %

अतः अतिरिक्त मद की दर

अतिरिक्त मद की मानक दर(1987)	426.45 रु.
+ समरूप कार्य की प्रतिशतता: 279.69%	11 92.73 रु.
	1619.18 रु.

अतः संविदाकार को अतिरिक्त मद के लिए भुगतान राशि 265.12 रु. प्रति घन मी. की दर से अधिक किया गया जिसके कारण संविदाकार को राशि 4093.45 रु.(1884.30 रु. -1619.18 रु.) ×15.44 घन मी.) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

ग) दातीफर एन्ट्री सं 119 माह 3/97 द्वारा संविदाकार को 3890 ईन्टों को जारी किया गया। जारी की गई ईंटों की वसूली 1.50 रु. प्रति ईंट की दर से की गई क्योंकि इस सामान को जारी करना कार्य अनुबन्ध की शर्तों में नहीं था न ही इस सामान के जारी होने पर वसूली की दर कार्य अनुबन्ध में निर्धारित थी। अतः सी.पी.डब्लू. अकाउंट कोड के पैरा 10.3.3 (सी) के प्रावधानों के अनुसार कार्य अनुबन्ध के कार्यान्वयन के दौरान ऐसा सामान जिसकी वसूली दरें पहले से कार्य

अनुबन्ध में दर्ज न हो, को जारी किया जाए तो उस सामान की दर का निर्धारण शर्तू दर या मार्किट दर जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाना वांछित था। उपरोक्त पैरा के अनुसार ईंटों की वसूली दर निम्न प्रकार से निर्धारित होनी थी :

हि•प्र• मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं• 2•8(2) के अनुसार ईंटों की दर प्रति हजार	410•00
+ संविदाकार का लाभ व ओ•हैड चार्जिज 15%	61•50 रु•
	471•50 रु•
+ किए गए कार्य का प्रीमियम जिसके लिए सामान प्रयोग किया गया था (हि•प्र• मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं• 10•1(1) + 10•2(ए) जो कि 279•69% था	1318•73
	1790•23 रु•

अतः वसूली दर 1790•23 रु• प्रति हजार या 1•79 रु• प्रति ईंट इस प्रकार संविदाकार से 3890 ईंटों की वसूली 0•29 रु• प्रति एक से कम की गई। अतः कम वसूल की गई राशि 1128•10 (3890x0•29) रु• की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा :40

कार्य का नाम: बीसीएस के नीचे आवासीय कॉलोनी फेस-2 का निर्माण (एस•एच मेन रोड आर• डी• 0/376 से 1063•50 तक 7 मी•चौड़ी पोर-मेशन कटिंग व लिंक रोड आर•डी• 06/मी• से 0/275 मी• तक 5 मी• चौड़ी कटिंग

मण्डल नं• 1

संविदाकार का नाम : मै• अग्रवाल एण्ड कम्पनी

कार्य अनुबन्ध संख्या : 2 वर्ष 1992-93

वाउचर संख्या 1 माह 3/97 राशि 141055 रु•

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 25वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार को 141055 रु• का भुगतान किया गया। इस बिल का अंकेक्षण करने पर 5230•70 रु• के अधिक भुगतान व कम वसूली के निम्न प्रकरण प्रकाश में आए :

उपरोक्त वर्णित देय कार्य मात्रा के विरूद्ध संविदाकार को 270.54 घन मी. कार्य मात्रा का भुगतान किया गया जो कि 24.85 घन मी. अधिक थी। अतः संविदाकार को राशि 546.70 रू. [24.85 घन मी. x 22.00 रू. प्रति घन मी.] का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ख] उपरोक्त कार्य का आवंटन संविदाकार को पत्र संख्या एसडीए [डी 2] अकाउन्ट-7/92-2027-34, दिनांक 13.10.92 द्वारा किया गया। इस पत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार संविदाकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सामान पर स्टोरेज चार्जिज की कोई वसूली नहीं की जाएगी [xxxx] बल्कि संविदाकार उस सामान के भण्डारण समय के लिए स्टोर कीपर के वेतन का भुगतान करेगा। मापन पुस्तिका संख्या 361 पेज 17,32 व 64 के अनुसार संविदाकार द्वारा केवल 14.80 सीमेन्ट बोरियों को भण्डार में लाया गया तथा इन बोरियों को माह 8/93 से 10/93 व 7/94 के दौरान भण्डार से जारी किया गया। उपरोक्त शर्त के अनुसार संविदाकार से स्टोर कीपर के वेतन माह 8/93 से 10/93 व 7/94 के लिए कुल देय राशि 4684 रू. की वसूली की जानी थी जिसका भुगतान विभाग द्वारा निम्न विवरणानुसार किया गया था :

वाउचर सं.	माह	उप वाउचर सं.	अवधि	भुगतान की गई राशि
31	1/94	39	1.8.93 से 31.8.93	1147.00 रू.
		57	1.9.93 से 30.9.93	1110.00 रू.
		80	1.10.93 से 31.10.93	1147.00 रू.
74	8/94	11	1.7.94 से 31.7.94	1280.00 रू.
				4684.00 रू.

अतः संविदाकार से इस वसूली योग्य राशि 4684 रू. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 41

भण्डार से जारी 20 सीमेन्ट बैगों को संविदाकार के लेजर (बही खाते) में दर्ज न करने के कारण राशि 5160 रू० की वसूली न करना

स्टोर बिन कार्ड से जारी सीमेंट की मात्रा का मिलान संविदाकारों के बही खातों में दर्ज सीमेंट की मात्रा से करते समय पाया गया कि इन्डेन्ट नं० 158/4 निर्माण मण्डल नं० 2 दिनांक शून्य माह 8/96 द्वारा संविदाकार श्री अब्दुल कदीर को कार्य बीसीएल के नीचे आवासीय बस्ती के निर्माण फेस I (एलएच ब्लाक नं० 14 ए से 18 फ्लैटों के शेष कार्य का निर्माण) के लिए जारी 20 सीमेंट बैगों को संविदाकार के लेजर में दर्ज नहीं किया गया था फलस्वरूप इन सीमेंट बैगों की वसूली संविदाकार से नहीं हो सकी संविदाकार के खाते में दर्ज सीमेंट की बोरियों का अंतिम विवरण निम्न प्रकार से था :

इन्डेंट सं०	दिनांक	सीमेंट बोरियों की संख्या
1/95	19.9.95	50
2/95	26.12.95	50
3/95	10.1.96	40
टी.ई. नं 129	8/97	25
टी.ई.नं.130	8/97	25 पूर्णता अवधि के बाद
		190 बैग

कार्य के पूरे व अन्तिम बिल जो मापन पुस्तिका सं० 251 पेज 100 पर दर्ज था के अनुसार कार्य में कुल 181 सीमेंट बोरियों का प्रयोग किया गया शेष 9 बोरियों को टी.ई.नं. 36 माह 3/98 द्वारा दूसरे कार्य को स्थानान्तरित किया गया तथा संविदाकार से केवल 181 बोरियों की वसूली 129 रू० प्रति बोरी की दर से की गई। उपरोक्त वर्णित इन्डेंट नं० 158/4 डी 2 दिनांक शून्य माह 8/96 द्वारा भण्डार से जारी 20 सीमेंट की बोरियों को संविदाकार द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया था। इस प्रकार संविदाकार द्वारा 181 सीमेंट बोरियों की वास्तविक खपत के विरुद्ध 201 सीमेंट बोरियों की खपत की गई थी। नियमानुसार इन सीमेंट की बोरियों की वसूली मार्किट दर या स्टोर इशू दर की दो गुनी दर से जो भी

ए० आर० एम०डी०पी० निर्माण कार्य आगणन 30515.00 21465/ + 9050/
1/1165 माह 11/96 नकली मिर्जापुर ...

अधिक दरों के आधार पर वसूली थी। अतः संविदाकार से राशि 5160 रु.{ 20 सीमेंट बोरी x 258 रु. प्रति बोरी {बाजू दर का दुगना} की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा:42 कार्य का नाम वीसीएल के नीचे आवासीय बस्ती फेस 2 का निर्माण {एलएच 4 नं. ए श्रेणी, 3 नं. सी श्रेणी के निर्माण जीव नं. 2

कार्य अनुबन्ध संख्या: 7, वर्ष 1992-93

संविदाकार का नाम : श्री आर.एस. राणा

वाउचर संख्या 43 माह 6/96 राशि 16509 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 20वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार श्री आर.एस. राणा को 16509 रु. का भुगतान किया गया। इस वाउचर का अंकेक्षण करने पर 1750 रु. के अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आया इस राशि का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से था :

क} 20वें चलत बिल की मद संख्या 4{सी} {दिवार के वर्टीकल सरफेस में फार्म वर्क} की कुल कार्य मात्रा 231 वर्ग मी. का भुगतान 25 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टि मापन पुस्तक संख्या 337 पृष्ठ 81 पर दर्ज थी। रिकार्ड प्रविष्टि का अवलोकन करने पर पाया गया कि मकान नं. 413 से 420 के मध्य लगाई गई दीवार के वर्टीकल सरफेस में फार्म वर्क 3.30मी. ऊंचाई तक किया गया दर्ज किया गया था जबकि इसी दीवार में आरसीसी 1:2:4 का कार्य केवल 2.30 मी. ऊंचाई तक किया गया था इसलिए फार्म वर्क का मापन व भुगतान भी 2.30 मी. ऊंचाई तक ही होना था इस प्रकार दीवार में फार्म वर्क का मापन व भुगतान 1.00 मी. की ऊंचाई के लिए अधिक किया गया। अतः संविदाकार को दीवार के फार्म वर्क के लिए केवल 161.00 वर्ग मी.{2x35x 2.30} का कार्य ही भुगतान योग्य था जबकि इस दीवार में फार्म वर्क के लिए कुल कार्य मात्रा 231 वर्ग मी. का भुगतान किया गया जो कि 70.00 वर्ग मी. से अधिक था। इसलिए

637 149

अधिक भुगतान की गई राशि 1750 रु० (70.00 वर्ग मी० x 25 रु० प्रति वर्ग मी०) की वसूली तुरन्त सुनिश्चित की जाए।

: 43

कार्य का नाम : वीसीएल के नीचे आवासीय वस्ती का निर्माण (एसएच मकान नं० ए-3 व ए 6 में त्रुटियों को सुधारना)

कार्य आदेश संख्या : 73 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम : श्री जितेन्द्र ठाकुर

वाउचर संख्या 37 माह 3/97 राशि 11349 रु०

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के दूसरे एवं अंतिम कार्य बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए भुगतान किया गया। इस बिल का अंकेक्षण करने पर राशि 1092.30 रु० की कम वसूली का मामला पाया गया।

क) बिल की मद संख्या 9/16 (हि०प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 14.1(3)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 5.01 वर्ग मी० का भुगतान मापन पुस्तक संख्या 491 पेज 42 द्वारा दर 380 रु० प्रति वर्ग मी० से किया गया। इस कार्य के लिए संविदाकार को 50 कि० सी०जी०आई० शीटस निम्न विवरणानुसार जारी की गई :

टी०ई० नं० 88 माह 8/96	25 किलो
टी०ई० नं० 118 माह 3/97	25 किलो
	50 किलो

इस सामान की वसूली 26.88 रु० प्रति किलो की दर से दूसरे व अंतिम कार्य बिल की देय राशि से की गई। वर्क आर्डर में इस सामान के जारी करने व वसूली की दर के बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं था। इस लिए यह सामान विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाना था अगर किसी अवस्था में विभाग को कोई सामान कार्य के कार्यान्वयन के दौरान जारी करना अनिवार्य हो तो सी०पी० डब्लू०डी० एकाउंट कोड के नियम 10.3.3(बी) के अनुसार कार्य अनुबन्ध के कार्यान्वयन के दौरान ऐसा सामान जिसकी वसूली दरें कार्य अनुबन्ध में दर्ज न हों को जारी किया

638 1424

किया जाए तो उस सामान की वसूली दर का निर्धारण बशू. दर या मार्किट दर जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाना वांछित था। उक्त नियमों के अनुसार सी.जी.आई शीटस की दर निम्न प्रकार निर्धारित होनी थी :

हि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या {2.28{9{ द्वारा सी.जी.आई.शीट की मूल दर	12.50रु.प्रतिकि.
+ 15% ठेकेदार का लाभ+ओ.चार्जिज	1.88
	14.38 रु.
+संविदाकार का प्रिमियम हि.पु. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 14.1{2{ पर आधारित	
$\frac{380 - 115.40}{115.40} \times 100 = 229.29\%$	32.97 रु.
	47.35 रु.

अतः संविदाकार से सी.जी.आई.शीट की वसूली 47.35 रु. प्रति किलो की दर से होनी थी लेकिन वसूली 26.88 रु. प्रति किलो की दर से की गई जो कि 20.47 रु. प्रति किलो की दर से कम थी। अतः संविदाकार से कम वसूल की गई राशि 823.50 {16.47 x 50कि.{ रु. की वसूली करें।

इस कार्य मद के लिए वास्तविक सीजीआई शीटस की खपत 40 किलो बनती थी लेकिन संविदाकार द्वारा 50 किलो सीजीआई शीटस की खपत की गई जिससे 10 किलो सीजीआई शीटस की अधिक खपत की गई नियमानुसार 10 किलो सीजीआई शीटस की वसूली बशू. दर से दो गुणा व मार्किट दर जो भी ज्यादा हो के आधार पर की जानी चाहिए थी लेकिन इस अधिक खपत के लिए कोई भी वसूली नहीं की गई। इस लिए 10 किलो सीजीआई शीटस की वसूली 26.88 रु. प्रति किलो की दर से की जाए जिसकी राशि 268.80 रु. बनती थी। अतः संविदाकार से कुल मिलाकर राशि 1092.30 रु. राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें।

214[5/ + 905.0/

पैरा सं. 44

कार्य का नाम बोरीपुरा के नीचे आवासीय बस्ती फेस-I का निर्माण (एलएच श्रेणी ए के 25 नं. मकानों श्रेणी बी के 21 नं. मकानों व श्रेणी सी के 8 नं. मकानों का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सेनीटेशन इन्स्टालेशन भी सम्मिलित थी।

संविदाकार का नाम   श्री अमर सिंह
कार्य अनुबन्ध संख्या :   1 वर्ष 1996-97
वाउचर संख्या 14 माह 6/96 राशि 21603 रु.

उपरोक्त वाउचर द्वारा संविदाकार श्री अमर सिंह को उपरोक्त कार्य के प्रथम चालू बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए 21603 रु. का भुगतान किया गया। इस कार्य बिल का अंकेक्षण करने पर 1024.05 रु. की कम वसूली के निम्न मामले प्रकाश में आए :

क) मापन पुस्तक संख्या 470 पेज 91 द्वारा बिल की मद संख्या 9/ई-1 व 9/ई-2 द्वारा वर्णित कार्य करवाने पर ब्लाक स्टोनों की मात्रा 2.49 घन मी. व अन्य पत्थरों की मात्रा 13.23 घन मी. प्राप्त की गई थी। इन पत्थरों को हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.7(डी) व 11.5 द्वारा वर्णित कार्य में प्रयोग हेतु संविदाकार को जारी किया गया। इन पत्थरों की वसूली संविदाकार से निम्न प्रकार से की गई :

1) 13.23 घमी. पत्थरों को 215=85 रु. प्रति घन मी.
2) 2.49 घन मी. पत्थरों को 395=35 रु.

जबकि कार्य स्थल पर प्राप्त पत्थरों जिनको हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11 .5 द्वारा वर्णित कार्य में प्रयोग किया गया था की वसूली 271.15 रु. प्रतिघन मी. की दर से होनी थी। इस वसूली दर का निर्धारण निम्न प्रकार से होना चाहिए था :

हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.5 के Analysis के अनुसार दर निर्धारण

1) 1 घमी. पत्थर की कीमत   44.00 रु.

2} ब्रुश एण्ड बोण्ड स्टोन्स	11.90 रु.
3} पत्थरों की ढुलाई	36.01 रु.
योग:	91.91 रु.
जल प्रभार दर 1½%	1.37 रु.
योग:	93.28 रु.
संविदाकार का लाभ 10% {93.28}-{36.01}	5.72 रु.
मूल वसूली दर	99.00 रु.
+ संविदाकार का प्रिमियम हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.5 के लिए जो कि 173.89%	172.15 रु.
{ओवर आल}	271.15 रु.

इस प्रकार संविदाकार से पत्थरों की वसूली राशि 731=60 रु. {271.15 रु. - 215-85 रु.} x 13.23 घन मी.} की जानी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.7{डी} द्वारा वर्णित कार्य के लिए संविदाकार को जारी 2.49 घन मी. ड्रेस्ड पत्थरों की वसूली मद संख्या 11.7{डी} के मूल Analysis के आधार पर 530.80 रु. प्रति घन मी. की दर से होनी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :

1} 1 घन मी. पत्थर की कीमत	77.44
2} ब्रुश एण्ड बोण्ड स्टोन्स	11.90
3} पत्थरों की ढुलाई	42.54
योग :	131.88
4} पत्थरों का ड्रेसिंग खर्चा	39.62
योग:	171.50
5} जल खर्च दर 1½%	2.57
योग :	174.07

6) संविदाकार का लाभ 10% (174.07 – 42.54)	13.15
187.22 रु.

+ मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.7(डी) द्वारा वर्णित कार्य के लिए दिया गया प्रीमियम जो कि 173.89% था	325.56 रु.
512.78 रु.
या 512.80 रु.

इस प्रकार संविदाकार से ब्रेक पत्थरों की वसूली 292.45 रु. (512.80 – 395.35 रु.) x2.49 घन मी. कम की गई थी। इस प्रकार कुल कम वसूल की गई राशि 1024.05 रु. की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा सं. 45

कार्य का नाम :वीलीपस के नीचे आवासीय कॉलोनी फेस-1 का निर्माण कार्य (फ्लएफ्स कोटी की लेवलिंग, आर.डी 790 से 800 मी. तक आर.सी.सी. दीवार का निर्माण)

संविदाकार का नाम : श्री युद्धवीर सिंह

वाउचर संख्या 61 मार्च 3/97 राशि 57893 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के पूरे एवं आखिरी बिल के दौरान किए गए कार्य का भुगतान संविदाकार को किया गया। इस कार्य बिल का नीरीक्षण करने पर 890.80 रु. के अधिक भुगतान के निम्न मामले प्रकाश में आए :

(1) बिल की मद संख्या 8/ई.आई. (हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 20.3(1) द्वारा वर्णित कार्य की की मात्रा 1.55 घन मी. का भुगतान 886.24 रु. प्रति घन मी. की दर से मापन पुस्तिका सं. 553 पेज 81 द्वारा किया गया इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका पर दिए गए नोट के अनुसार आरसीसी दीवार के Demolition के दौरान सरियों को काटा नहीं गया बल्कि यथा स्थिति में रखा गया था। इस प्रकार

आरसीसी दीवार में Demoliation की मात्रा का भुगतान दर 311.53 प्रतिघन मी. से होना था क्योंकि उपरोक्त कार्य मद के Analysis में (1987) में आरसीसी दीवार के Demoliation में सरिए की कटिंग के लिए 206.25 रु. का प्रावधान था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

सरिए की कटिंग के लिए अतिरिक्त व्यय	
ब्लैक स्मिथ 2- क्लास	92.70 रु.
बेलदार	84.00 रु.
	176.70 रु.
जल चार्जिज 1½ %	2.65 रु.
	179.35
संविदाकार का लाभ एण्ड ओवर चार्जिज 15%	26.09
	206.25 प्रति घनमी.

कार्य मद (दि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 20.3 (1) द्वारा वर्णित कार्य के लिए सरिए की कटिंग के अलावा शेष कार्य के लिए दर (मूल्य आधार 1987) (कुल दर सरिए की कटिंग का जर्रा)
=318.05 − 206.65 = 111.80 रु.

इस प्रकार संविदाकार द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के लिए केवल 311.53 रु. प्रति घन मी. (111.80 + ओवर आल प्रीमियम जो कि 178.65%) की दर से भुगतान होना था लेकिन संविदाकार को दर 886.24 रु. प्रति घन मी. से भुगतान किया गया जो 574.71 रु. प्रतिघन मी. अधिक था। इस प्रकार संविदाकार को राशि 890.80 रु. (574.71 x 1.55 घन मी.) के अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

पैरा 46:- वाउचर सं0 96 माह 3/97 राशि 77989 रू0

इस वाउचर के उप वाउचर सं0 12 में कार्य ए/आर एण्ड एम.ओ. कम्युनिटी केन्द्र के लिए जारी मस्टरोल सं0 67 पर दिनांक 1.2.97 से 28.2.97 तक लगाए गए मजदूरों की मजदूरी की राशि 3843/- रू. का भुगतान किया गया । इस मस्टरोल का अंकेक्षण करने पर पाया गया गया कि मजदूरों सर्वश्री विजय कुमार हिरिसिंह एवं सुश्री सावित्री देवी को दिनांक 8.2.97 को वैतनिक अवकाश (Paid Holiday) दिया गया जबकि इससे पहले इन मजदूरों को वैतनिक अवकाश 2.2.97 को दिया गया था । नियमानुसार प्रत्येक दिहाडीदार मजदूर को लगातार छ: कार्य दिवसों के बाद ही ~~वैतनि~~ वैतनिक अवकाश ~~केवल~~ देय होता है 5 दिन कार्य करने के पश्चात ही दे दिया गया जो अनियमित था । (जबकि इन मजदूरों को वैतनिक अवकाश केवल)
इस प्रकार मजदूरों को 45 रू0 75 पैसे की दर से 137.25 पैसे की राशि का अनुचित भुगतान किया गया इसलिए अनुचित भुगतान की गई राशि की वसूली करने के बाद नगर विकास प्राधिकरण की निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

इसके अतिरिक्त श्री राजेश चौहान दैनिक भोगी कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 1.2.97 से 28.2.97 तक का भुगतान मस्ट्रोल सं0 68 द्वारा किया गया । मस्ट्रोल की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री चौहान को दिनांक 26.2.97 से 28.2.97 तक (Paid holiday) विशेष ~~अव//वैत/~~ वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था । वाउचर में संलग्न प्रमाण पत्र से पता चला कि यह वैतनिक अवकाश उसे अपनी धर्मपत्नी द्वारा नसबन्दी आपरेशन करवाने के कारण पत्नि की देखभाल हेतु स्वीकृत किया गया था जबकि उप सचिव (स्वास्थ्य) हि0प्र0 सरकार के पत्र पृष्ठांकन सं0 HFP - F (19)-31/76 2 दिनांक 26.10.89 द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारी को उसकी पत्नि द्वारा नसबन्दी आपरेशन करवाने के कारण पत्नी की देखभाल हेतु विशेष अवकाश देय नहीं था । (श्री चौहान को स्वीकृत विशेष वैतनिक *) अत: 26.2.97 से 28.2.97 तक भुगतान राशि 219.60 रू. तथा इसके बाद आगामी मस्ट्रोल में दिनांक 1.3.97 से 4.3.97 के लिए भुगतान की गई राशि रू. 549.00 जिसका कुल योग रू. 768.60 बनता है की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

(* अवकाश दिनांक 26-2-97 से 28-2-97 व 1-3-97 से 4-3-97 अदेय था)

ए.आर.एम.वी.पी. निर्माण कार्य कालोनी 30515.00 21465/ + 9050/
1/1165 माह 11/96 तहसील सिरपुर नादक
[illegible] पृष्ठ पर..

पेरा सं0 47:- **कार्य का नाम** :- बी.सी. एस. के नीचे आवासीय कालोनी फेस-2 का निर्माण एस.एच.बी.श्रेणी के फ्लैटस 24 न0 ए श्रेणी के फ्लैटस 8 न0 का निर्माण जिसमें आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन इन्स्टालेशन भी सम्मिलित थी ।

कार्य अनुबन्ध संख्या: 9 वर्ष 1996-97

संविदाकार का नाम : मै. एन.एल.गुप्ता

वा0सं0 21 माह 3/97 राशि 618462.00 रू.

इस वा0 द्वारा उपरोक्त कार्य के तीसरे चालू बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार को 6,18,462का भुगतान किया गया । इस बिल का अंकेक्षण करने पर संविदाकार को 320.40 रू. के अधिक भुगतान का निम्न प्रकरण प्रकाश में आया ।

क) तीसरे चालू बिल की मद सं0 8/8(लो0नि0वि0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 9.41(बी) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 31795.39 कि0ग्राम का भुगतान मापन पुस्तक सं0 567 पेज 54 द्वारा 18.00 रू0 प्रति कि.ग्राम की दर से किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों को जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि 12 एम.एम. टौर सरिए की कुल लम्बाई की मात्रा 355.55 मी. लिखी गई थी (मापन पुस्तिका सं0 404 पेज 60) जबकि वास्तव में 12 एम.एम. स्टील की लम्बाई 335.55 मी.बनती थी । इस प्रकार योग की गलती के कारण संविदाकार को राशि 320.40 रू (355.55-335.55)x.89 कि0ग्राम /मी)x18.00 रू. प्रति कि.ग्रा. का अधिक भुगतान किया गया । अत: अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

पेरा सं0 48 **कार्य का नाम** :- बी.सी.एस. के नीचे आवासीय फेस-2 का निर्माण (एस.एच.बी.श्रेणी के 50 फ्लैटों, सी श्रेणी व डी श्रेणी के 15 फ्लैटों का निर्माण जोब न0 5 वर्ष 92-93

कार्य अनुबन्ध संख्या: 6 वर्ष 1992-93

संविदाकार का नाम श्री आर एस.राणा ।

....

वा0सं0 45, माह 6/96 राशि 122621.00 रु.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के 32वें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार श्री आर.एस.राणा को 320.00रू0 का भुगतान किया गया । वाउचर का अंकेक्षण करने पर 320 रू के अधिक भुगतान का मामला सामने आया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था ।

क॥ बत्तीसवें चलत बिल की मद सं0 4/5 ॥दि0प्र0॥ मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.16 ॥र॥ द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 211.29 घन मी. का भुगतान 600रू. प्रति घन मी. की दर से किया गया । इस मात्रा के लिए वास्तविक देय राशि 126774 रू. बनती थी लेकिन संविदाकार को 127094 रू. की राशि का भुगतान किया गया जो वास्तविक देय राशि से 320.00 रू. अधिक थी । अतः अधिक भुगतान की गई राशि 320 रू. की वसूली तुरन्त करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 49:-कार्य का नाम :- बी.बी.एस. के नीचे आवासीय बस्ती फेस-2 का निर्माण कार्य ॥एस.एच.डी.टाईप मकान का निर्माण जिसमें आंतरिक जल आपूर्ति व सैनीटेशन इन्स्टालेशन , भिन्न -2 प्रकार के फ्लैटों का विकास भी सम्मिलित था ।

कार्य अनुबन्ध संख्या: 41 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम श्री बलविन्द्र गुप्ता ।

वा0सं0 28 माह 8/97 राशि 319275.00 रू.

इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के सातवें चलत बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए राशि 319275.00 रू. का भुगतान श्री बलविन्दर गुप्ता को किया गया । इस वाउचर का अंकेक्षण करने पर राशि 232.6 रू. अधिक भुगतान के निम्न मामलों का पता चला ।

क" बिल की मद सं0 13/एक्स्टरा ॥दि0प्र0॥ मानक दर अनुसूची 198' की मद सं0 15.10॥ए॥ द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 14.30 वर्ग मी.का भुगतान 407.00रू. प्रति वर्ग मी. की दर से किया गया इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12॥3॥ के अनुसार किया गया था जबकि अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य के समरूप ॥ Similar॥ कार्य की निम्न मदों के लिए का अनुबन्ध में दरें अनुबन्धित थी । अतः अतिरिक्त मद की दर का

...205 15.00 214 5/ + 205 0/...

(641) 159

दर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12§2§ के अनुसार 301.75 प्रति मी. बनती थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था ।

अतिरिक्त मद§ दि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 15.12§ए§ की मानक दर ।	137.10
+ अनुबन्धित Similar कार्य की प्रतिशतता 120.10 %	164.65 रु.
	301.75 रु.

अतः संविदाकार को अतिरिक्त मद की दर का भुगतान 8.40 रु. प्रति वर्ग मी0 की दर से अधिक किया गया जिससे राशि 45.36 रु. §310.15 –301.75§× 5.40 मी.§ का अधिक भुगतान किया गया इसी प्रकार बिल की मद सं0 15/ई.आई§दि0प्र0§ मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 15.11§ द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 4 न0 का भुगतान 274.95 रु. प्रति एक की दर से किया गया जबकि इस अतिरिक्त मद की दर कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12§ii§ के अनुसार 267.53 रु. प्रति एक बनती थी का विवरण निम्न प्रकार से था ।

अतिरिक्त मद §दि0 प्र0§ मानक दर अनुसूची 1987 की मानक दर ।	121.55 रु.
+ अनुबन्धित Similar कार्य की प्रतिशतता: §उप पैरा क के अनुसार§ 120.10%	145.98 रु.
	267.53 रु.

अतः संविदाकार को अतिरिक्त मद की दर का भुगतान 7.42 रु. प्रति एक की दर से अधिक किया गया जिससे राशि 29.68 रु. §274.95–267.53 रु.§ × 4 न0 का अधिक भुगतान किया गया । इसलिए कुल अधिक भुगतान की गई राशि 75.04§45.36 रु. +/29.68 29.68 रु. § की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

647 159

कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(2) के अनुसार निर्धारित ...
जो कि निम्न विवरणानुसार 396.18 रु० प्रति वर्ग मी. बनता था ।
अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य के Similar कार्य के लिए अनुबन्धित
दरों के आधार पर प्रतिशतता ।

क्र.सं.	दि०प्र०मानक दर अनुसूची की मद सं.	दर	संविदाकार की दर	कार्य अनुबन्ध मद सं.
1.	15.4(डी)	1090.35	2400.00	31(ए)
2.	15.4(एफ)	1037.50	2400.00	31(बी)
3.	15.5(1)	60.70	130.00	32(1)
4.	15.16(बी)(1)	221.75	590.00	33(बी)
5.	15.16(बी)(2)	370.20	600.00	33(ए)
		2780.50	6120.00	

प्रतिशतता:- 6120-2780.50×100 / 2780.50 120.10 %

अतिरिक्त मद की मानक दर
(15.10(ए) दि० प्र० मा०द०अ० 1987) 180.00 रु.

+ अनुबन्धित Similar कार्य की %
120.10% 216.18

396.18 रु.

इस प्रकार संविदाकार को अतिरिक्त कार्य मद की दर का भुगतान 11.02 रु. प्रति वर्ग मी.की दर से अधिक किया गया । अधिक भुगतान की राशि 157.58 रु. (407=20-396.18)× 14.30 वर्ग मी. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

(उ) सातवे चलत बिल की मद सं० 14/ई.आई (दि०प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.12(ए) को कुल कार्य मात्रा 5.40 मी. का भुगतान 310.45 रु. प्रति मी.की.दर से किया गया । इस अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(3) के अनुसार किया गया । जबकि अतिरिक्त मद द्वारा वर्णित कार्य से मिलते जुलते कार्य की अनेक मदें कार्य अनुबन्ध में अनुबन्धित थीं जिनकी प्रतिशतता: उपरोक्त उप पैरा क के अनुसार 120.10% बनती थी अत: इस अतिरिक्त मद की

50. पंचकुला से बी.टी.एस. तक बजरी की अतिरिक्त ढुलाई के लिए संविदाकार को राशि 26,24,639.80 रुपये का भुगतान करना ।

कार्य अनुबन्ध संख्या 1, वर्ष 1993-94, 6 वर्ष 1992-93 व 7, वर्ष 1992-93 के शर्त नं. 47 (जनरल स्पेसीफिकेशन एवं कन्डीशनस) और कार्य अनुबन्ध संख्या 2, वर्ष 1992-93 की शर्त नं. 48 (जनरल स्पेसीफीकेशन एवं कन्डीशनस) के जो निम्न प्रकार थी ।

Time allowed for carrying out work shall be strictly observed and shall be deemed to be the esence of the contract. The local availability of water electricity and material like sand grit stones and bricks etc. required for construction purpose may properly be assessed and extra lead involved if only in arranging one or more of these materials from out stations may be properly accounted for while quoting the rates. the rate quoated by the contractor will be deemed to have been based on availability of stones/grit from Bhatta Kufer quarries and in case its closure by the government, extra lead from alternative quarry shall be payable.'

उपरोक्त शर्तों के अनुसार भठ्ठा कुफर की सोर्स व पत्थर की खान बन्द होने के फलस्वरूप संविदाकार को अन्य स्त्रोत से लाई गई बजरी के लिए "Extra Lead" का भुगतान करना था । पंचकुला से बी.टी.एस. तक की कुल दूरी 126 कि.मी. बताई गई थी । इस दूरी में से भठ्ठा कुफर से बी.टी.एस. की दूरी 11 कि.मी. कम करने के बाद शेष दूरी के लिए बजरी की Extra Lead का भुगतान किया गया था Extra Lead की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(iii) के अनुसार किया गया था । अंकेक्षण अवधि के अन्त (31.3.97) तक भिन्न-2 कार्यों के लिए राशि 26,24,389,80 रु. का भुगतान बजरी के अतिरिक्त ढुलाई के लिए किया गया । इस राशि का पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "ठ" में दिया गया है ।

अतिरिक्त ढुलाई की दरों की स्वीकृति करते समय भठ्ठा कुफर में बजरी की दरों व पंचकुला में बजरी की दरों की तुलना नहीं की गई थी । अंकेक्षण को इस प्रकार का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह पता चल सके की भठ्ठा कुफर में बजरी की दरें पंचकुला में उपलब्ध बजरी की दरों के समान थी । अगर किसी अवस्था में भठ्ठा कुफर में बजरी की दरें, पंचकुला में उपलब्ध बजरी की दरों से अधिक हो व संविदाकारों की दरों का औचित्य भठ्ठा कुफर में बजरी की दरों से किया गया हो तो पंचकुला से लाई गई बजरी की अतिरिक्त ढुलाई के भुगतान से संविदाकार को बजरी की दरों के अन्तर का उपरोक्त लाभ हो सकता है जिसके लिए संविदाकार नियमानुसार पात्र नहीं थे । इसके अतिरिक्त इस प्रकार का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को नहीं दिखाया

लगातार पृष्ठ .. पर

गया जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि वास्तव में बजरी पंचकुला से ही लाई गई थी ।

उच्च न्यायलय हि0 प्र0 में दायर रिट पटीशन नं0 51, वर्ष 1993 के निपटान में दिए गए निर्देशानुसार भठ्ठा कुफर के स्टोन क्वारों को दिनांक 26.1.94 से बन्द कर दिया गया था । अतः इस पूरे मामले की छानबीन विभाग किसी निष्पक्ष ऐजेन्सी से करवाने के पश्चात अंकेक्षण को निम्न अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

§क§ पंचकुला व भठ्ठा कुफर के स्टोन क्वारों की बजरी की दरों की अधिसूचना जो सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा जारी हो ।

§ख§ क्योंकि बजरी की अतिरिक्त ढुलाई का भुगतान पंचकुला से की गई थी । अतः आबकारी एवं कराधान विभाग हि0 प्र0 के परवाणु अवरोधक द्वारा जारी फार्म "पी.जी.टी. 21" ।

51. निर्माण मण्डल नं. II के वर्ष 1996-97 के ट्रायल वैलेन्स की मद संख्या 9 द्वारा लेखा शीर्ष स्टाक सस्पैंस के अन्तर्गत राशि §-§ 6,40,318.00 रूपये को गलत दर्शाना ।

निर्माण मण्डल नं. II के वर्ष 1996-97 के ट्रायल वैलेन्स का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसकी मद संख्या 9§1§ द्वारा लेखा शीर्ष स्टौक सस्पैंस के अन्तर्गत अन्तिम बैलेन्स §-§ 6,40,318.00 रूपये दर्शाया गया था जोकि मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धान्तों, नियमों एवं परम्पराओं के पूर्णतय विपरीत था क्योंकि स्टाक सस्पैंस या तो डैबिट वैलेन्स में होता है या फिर इस लेखा शीर्ष का अन्तिम शेष शून्य के बराबर होता है । लेकिन उपरोक्त ट्रायल बैलेन्स में लेखा शीर्ष स्टाक सस्पैंस में अन्तिम शेष§-§640318.00रूपये दिखाना मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धान्तों, नियमों व परम्पराओं के विरूद्ध है । इस खाते की पूर्ण जांच करने पर निम्न कारणों को पाया गया । §-§ 640318.00रूपये के स्टाक का तात्पर्य यह है कि इतनी राशि का स्टाक वास्तव में प्राप्त राशि के स्टाक से अधिक प्रयुक्त/जारी किया जा चुका था जो कि तथ्यों/ वास्तविकताओं के प्रतिकूल है ।

§क§ मैं. सूद स्टील इन्डस्ट्रीज, कन्दरोड़ी से प्राप्त सामान जिसका मूल्य 77378.00 रूपये था को जी.आर.संख्या -114 दिनांक माह 3/97 द्वारा भण्डार में प्राप्त किया गया था इस लिए स्टाक स्टोर खाते को राशि 77738.00रूपये से डैबिट करना था क्योंकि इस सामान के बिल का भुगतान 3/97 के बाद किया गया था इस लिए 3/97 के दौरान इस राशि को मैं सूद स्टील इन्डस्ट्री, कन्दरोड़ी के खाते में क्रैडिट करना वांछित था । उपरोक्त जी.आर द्वारा प्राप्त सामान की राशि को न तो स्टोर स्टाक खाते में डैबिट किया गयाथा न ही मैं सूद स्टील इन्डस्ट्री कन्दरोड़ी के खाते में क्रैडिट किया गया था ।

§ख§ समायोजन वाउचर संख्या 6 वर्ष 1996-97 द्वारा व्यक्तिगत पर...

लगातार पृष्ठ

परिसर,कुल्लू को 2287148 से डैबिट किया गया था तथा स्टाक सस्पैंस खातों को क्रैडिट किया गया । इस राशि के पूर्ण ब्यौरे का अवेक्षण करने पर पाया गया कि इन्डैन्ट संख्या 154 माह 12/96 द्वारा केवल 95606/- रूपये के सामान को स्टोर से जारी किया गया था लेकिन इस राशि (95606.00रूपये) को 2287148.00 रूपये की गणना करते समय 950606.00रूपये लिखा व लिया गया था जिसके कारण खाता व्याव-सायिक परिसर कुल्लू को राशि 8,55,000.00रूपये से अधिक डैबिट व स्टोर संस्पैंस खातों को अधिक क्रैडिट किया गया था ।

अत: उपरोक्त उप पैरा क,ख में दर्शाए गए कारणों से स्टाक स्टोर खातों में राशि(-) 640318.00रूपये का अन्तिम शेष दर्शाया गया था जो कि वास्तव में 2,92,420.00रूपये होना था । इस वास्तविक राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है ।

(1) वर्ष 1996-97 के ट्रायल बैलैन्स की मद संख्या 9(1) द्वारा स्टोर सस्पैंस खाते का अन्तिम शेष डैबिट(+)	(-)	640318.00
(2) उप पैरा ख के अनुसार स्टोर संसपैंस को दियागया अधिक क्रैडिट ~~डैबिट~~ सुधार के बाद । डैबिट	(+)	855000.00
(3) उप पैरा क के अनुसार प्राप्त सामान की राशि का स्टोर ससपैंस खाते में डैबिट न करने के कारण डैबिट (+)		77738.00
योग(+) डैबिट		292420.00

इसी प्रकार ट्रायल बैलैन्स में निम्न खातों के अन्तिम शेषों में भी परिवर्तन आना अनिवार्य था जिनका विवरण इस प्रकार से था :-

(X) <u>व्यवसायिक परिसर कुल्लू का खाता</u>

(1) वर्ष 1996-97 के ट्रायल बैलैन्स की मद संख्या 14 द्वारा दर्शाया शेष व्यवसायिक परिसर कुल्लू	डैबिट	3039536.00
(2) उप पैरा ख के अनुसार व्यवसायिक परिसर कुल्लू के खाते में दिया गया गलत डैबिट को सुधार के बाद(-)	डैबिट	855000.00
व्यवसायिक परिसर खाते में सुधार के बाद वास्तविक शेष :-		2184536.00

लगातार पृष्ठ पर...

:= =:

(657) 154

मै. सूद स्टील इन्डस्ट्रीज कन्दरोड़ी का खाता

उपरोक्त उप पैरा 'क' के अनुसार मै. सूद स्टील इन्डस्ट्रीज का खाता खोला नहीं गया था जो कि क्रेडिट(या)-(डैबिट) होना था ।
अतः इस खाते का शेष =- (-) डैबिट 22738.00

अतः उपरोक्त वही खातों में सुधार करने के बाद आगामी वर्षों के वही खाते में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

52. वाउचर संख्या 68 माह 6/97 राशि 10,000रुपये

इस वाउचर द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी, टैलीकोम प्रबन्धक कार्यालय धर्मशाला को 10,000रुपये (बैंक ड्राफ्ट सं. 336078 दिनांक 22.6.96 जो कि पंजाब नेशनल बैंक धर्मशाला में देय था) का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय में एन.टी.सी. टैलीफोन लगाने के लिए बतौर अग्रिम किया गया । हि0 प्र0 नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के पत्र संख्या एच.पी.एन.वी.पी.-ए.वी.(पी.)-सैन्क्शन/96 -3591-92 दिनांक 25.6.96 द्वारा इस खर्चे को वर्ष 1996-97 के कार्यालय व्यय में डैबिट किया जाना था । परन्तु इस खर्चे को आवासीय कौलोनी,धर्मशाला के खाते में डैबिट किया गया जो कि अनियमित था । अतः इस अनियमितता का सुधार कार्यालय व्यय 1996-97 के खाते को डैबिट करके व आवासीय कौलोनी धर्मशाला के खाते को क्रेडिट करके किया जाए । अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए ।

53. (1) वाउचर संख्या 80 माह 6/96 राशि 69410.00रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा,हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड,मण्डल धर्मशाला के अधिशाषी अभियन्ता को उनके कार्यालय पत्र संख्या 231845/आर.वी./वी./96-2725-26 दिनांक 17.6.96 द्वारा 11 के0वी0 एच.टी.लाईन को जो कि गांव मोहली(धर्मशाला) में,एच0पी0एन0वी0पी0 शिमला-9 द्वारा निर्माणधीन फ्लेटों/प्लाटों से गुजरती थी को बदलने हेतु 69410रुपये अग्रिम भुगतान किया गया । नियमानुसार अग्रिम राशि को खाता Amount Recoverable from Xen HPSEB Dharamsala में डैबिट होना था । लेकिन इस राशि को खाता "आवासीय कलोनी मोहली (धर्मशाला)" को डैबिट किया गया जो, पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः इस राशि को खाता Amount Recoverable from XEN HPSEB धर्मशाला को डैबिट करके व खाता आवासीय कोलोनी मोहली धर्मशाला को क्रेडिट करके अनियमितता का सुधार किया जाना सुनिश्चित करें ।

अनियमित या व्ययोक्ति राशि का उपयोगिता प्रमाण

53(2) वाउचर संख्या 12 दिनांक 5.6.96 और वाउचर संख्या 50 दिनांक 18.6.1996

लगातार पृ. पर..

+ 905

:=   =:   (652)   158

निर्माण कार्य का निर्माण :- बी.सी.एस. से नीचे फेज-I में आवासीय परिसर का निर्माण, उप शीर्ष.- प्लाट नं. 95 से 98 तक साईट डिवैल्पमैंट, प्लाट का समान्तर करना एवं रिटेनिंग दीवार लगाना इत्यादि ॥

अनुबन्ध संख्या :-   8 वर्ष 1996-97

उपरोक्त कार्य के पहले और दूसरे चलत विपत्र में साईट से प्रयोग करने योग्य पत्थर निम्नलिखित विवरणानुसार निकाले गए बताए गए हैं ।

सामग्री का विवरण	मात्रा	राशि ॥रुपये॥
1. साधारण खनित पत्थर	10.20 घन मी.	1906 ॥ 2687
2. डिरेस्ड पत्थर	2.28 घनमी.	781 ॥
3. साधारण खनित पत्थर	2.70 घन मी.	504

उक्त भण्डार सामग्री का न तो सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाया गया और न ही सम्बन्धित कार्य के एम.ए.एस. में लिया गया अपितु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने ही स्तर पर माप पुस्तिका संख्या 1172 पृष्ठ 94 और 100 में उक्त भण्डार सामग्री का सत्यापन करके ठेकेदार से पहले और दूसरे चलत विपत्रों में क्रमशः 2687रुपये और 504 रुपये की वसूली कर ली गई । इन अनियमितताओं के कारण भण्डार सामग्री की सही मात्रा और राशि का सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया जा सका । अतः भण्डार सामग्री की उक्त मात्रा का सत्यापन सक्षम सक्षम अधिकारी से करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

54. वाउचर संख्या 7 दिनांक 5.6.1996

निर्माण कार्य का नाम :- बी.सी.से नीचे फेज-2 में आवासीय परिसर का निर्माण ॥उप शीर्ष:- आर.डी. से 0/190 तक पांच मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण, मेन सड़क आर.डी. 0/569 से वाईफरकेशन एवं आर.सी.सी. दीवारों का निर्माण ॥

अनुबन्ध संख्या:-   6 वर्ष 1991-92

संविदाकार का नाम :- श्री अजय सूद

॥क॥ उक्त कार्य के तीसरे चलत बिल में माप पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ 66 में रिकार्ड प्रविष्टियां दर्ज करते समय 75.86 मीटर, 16 एम.एम. स्टील के स्थान पर 78.86 मीटर स्टील तो ली गई, इस प्रकार 16 एम.एम. स्टील का 9 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से ठेकेदार को 2×1.58=3.16कि.ग्रा.स्टील का 9 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 28.44रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए ।

लगातार पृष्ठ पर...

(ख) उक्त कार्य के प्रथम चलत विपत्र में कार्य के निष्पादन हेतु माप पुस्तिका संख्या 251 पृष्ठ 16 दिनांक 10.9.1993 में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार 268 घन मीटर, 20 एम.एम. की रोड़ी लाने हेतु ठेकेदार को 44220 रुपये सुरक्षित अग्रिम धन का भुगतान किया गया। इसके उपरान्त दूसरे चलत विपत्र में मद संख्या 5(क) व (5)(ख) के निष्पादन हेतु उक्त मात्रा में से 159 घन मीटर रोड़ी प्रयोग में लाई गई, जिसकी अनुपातिक वसूली मु0 26235 रुपये दूसरे चलत में दिनांक 3.11.93 को की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सम्पूर्ण सुरक्षित अग्रिम धन मु0 44220/= रुपये की वसूली ठेकेदार से तीसरे चलत विपत्र में माप पुस्तिका संख्या 251 पृष्ठ 36 में दिनांक 5.6.1996 को की गई। अतः उचित समय पर सुरक्षित अग्रिम धन की वसूली न करके ठेकेदार को दिनांक 3.11.93 से 5.6.1996 तक लगभग 2½ वर्ष तक मु0 26235 रुपये का अनुचित लाभ पंहुचाया गया है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस हेतु दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त ठेकेदार से उक्त अवधि के व्याज की वसूली किए जाने पर भी विचार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) इस कार्य के तीसरे चलत बिल में माप पुस्तिका 251 पृष्ठ 34 में 11608 रुपये के स्थान पर केवल 10,000रुपये प्रतिभूति की कटौती की गई, परिणामस्वरूप 1608 रुपये प्रतिभूति की कम कटौती की गई जिसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए।

(घ) इस कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार को सी.ई.ओ. एवं सी.ई. के पत्र संख्या एम.डी.ए.-एस.वी-(जी) टैण्डर/9/(68)-10457 दिनांक 13.10.1993 द्वारा दिनांक 31.12.1993 तक समय बढ़ोतरी दी गई, परन्तु यह कार्य उसके पश्चात भी चलता रहा और इस कार्य का तीसरा चलत बिल दिनांक 5.6.1996 को पारित किया गया, जिस हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ोतरी लेनी अनिवार्य है, जिसे प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ङ.) इस कार्य के आवेदन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदार द्वारा मद संख्या 6(क) तथा 6(ख), आर.सी.सी. रिटेनिंग दीवार और फौण्डेशन के साथ-2 मद संख्या 8 में पिछली तरफ 60 घन मीटर बोल्डर पत्थर की फीलिंग तथा बाकी की फीलिंग कटिंग और खुदाई से निकले हुए त्रुटी मैटिरियल से करनी अनिवार्य थी अन्यथा ठेकेदार को मद संख्या 6(क) तथा 6(ख) का भुगतान 7% कटौती करके किया जाना अनिवार्य था। परन्तु तीसरे चलत तक ठेकेदार द्वारा निष्पादित की गई मात्राओं के अवलोकन से पता चलता है कि यद्यपि मद संख्या 6(क) तथा 6(ख) के निष्पादन में अत्याधिक बढ़ोतरी कर दी गई और मद संख्या 8 का निष्पादन निर्धारित मात्रा में भी कम था, फिर भी ठेकेदार से अनुबन्ध की शर्तानुसार 7% की अपेक्षित कटौती नहीं की गई। वास्तव में मद संख्या 8 का निष्पादन भी उसी अनुपात में बनना चाहिए था जिस अनुपात में ~~बनना चाहिए था~~ मद संख्या 6(क) और 6(ख) के निष्पादन

लगातार पृष्ठ पर....

305 15·00 214·5/ + 205·0/

में बढ़ोतरी हुई है । तीसरे विपत्र तक निष्पादित की गई इन मात्राओं का विवरण निम्न प्रकार से है ।

मद संख्या	मद का नाम	डी.एन.आईटी में रखी गई मात्रा	वास्तव में निष्पादित मात्रा	दर	राशि	अन्तर प्रति-शत	औचित्य की दर
6(क)	आर.सी.सी. रिटेनिंग दीवार	106.08 घन.मी.	372.671 घन.मी.	1200रु. प्रति घन.मी.	447205 रु.	251.30 प्रतिशत	1051.25 प्रति घन.मी.
6(ख)	आर.सी.सी. फोण्डेशन	213.61 घ.मी.	432.88 घ.मी.	1200रु. प्रति घ.मी.	519456 रुपये	(+) 102.64 प्रतिशत	1081.90 प्रति घ.मी.
8	वाउलडर पत्थर की पीचिंग	355.65 घ.मी.	296.49 घ.मी.	70 प्रति घ.मी.	20754रु.	(-) 17.64 प्रतिशत	211.30 प्रति घ.मी.

उक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि मद संख्या 6(क) तथा 6(ख) की दरें औचित्य की दरों से अधिक होने के कारण इनका ~~ममम~~ निष्पादन अत्याधिक मात्रा में किया गया और मद संख्या 8 की दर अत्याधिक कम होने के कारण इसका निष्पादन निर्धारित मात्रा से भी कम किया गया है । इन मात्राओं में इतने अधिक अन्तर को पूर्ण औचित्य सहित स्पष्ट किया जाए और ठेकेदार से आपेक्षित 7% कटौती मु0 67666 रुपये न करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-2 ठेकेदार को दिए गए अनुचित लाभ की वसूली करके अनुपालना से शीघ्रता से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(च) उक्त कार्य का आंवटन ठेकेदार अजय सूद को पत्र संख्या एम.डी. ए.(डी.-II) -आवंटन -7/91-2113-20 दिनांक 19.6.1991 द्वारा कुल लागत मु0 750340रुपये जो कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. मानक दर अनुसूची 1987 पर आधारित अनुमानित लागत से 45.794%- अधिक है, के लिए किया गया । इससे पूर्व यह कार्य मैसर्ज एम.जी.ऐसोसियेट नई दिल्ली को पत्र संख्या एम.डी.ए.(डी-II) आवंटन -7/90-1907-13 दिनांक 27.7.90 द्वारा कुल लागत 6,68,449 रुपये जोकि सी.पी.डब्ल्यू डी. मानक दर अनुसूची 1987 पर आधारित अनुमानित लागत से 29.92% अधिक था, पर आंवटित किया गया था । अंकेक्षण को चर्चा के दौरान बताया गया कि मैसर्ज एम.जी.ऐसोसियेट नई दिल्ली को प्राधिकरण द्वारा समय पर साईट उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जिसके कारण उनके द्वारा पूर्व में ही यह कार्य नहीं किया जा सका परन्तु अंकेक्षण द्वारा बार-2 आग्रह करने पर भी प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को साईट उपलब्ध न किए जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया । इसके उपरान्त माननीय

लगातार पृष्ठ पर...